

केवल शासकीय प्रयोग हेतु

आबकारी विभाग

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक



वर्ष
2012-2013

प्राक्कथन

आबकारी विभाग प्रदेश का राजस्व अर्जित करने वाला प्रमुख विभाग है। आबकारी विभाग पर होने वाला कुल व्यय, इस विभाग द्वारा अर्जित सकल राजस्व का लगभग एक प्रतिशत है। इस प्रकार विभाग द्वारा अर्जित किये गये राजस्व का लगभग 99 प्रतिशत भाग राज्य की विकास योजनाओं के लिये प्रयुक्त किया जाता है। मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नयन, प्रवर्तन एवं प्रभावीकरण ही आबकारी विभाग के मूल उद्देश्य हैं। साथ ही विभाग का लक्ष्य है कि उपयुक्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण द्वारा मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व अर्जित किया जाये तथा अवैध एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पदार्थों की बिक्री/उपभोग को हतोत्साहित किया जाये। वित्तीय वर्ष 2011-12 में विभाग द्वारा कुल 8139.09 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु 10070 करोड़ रुपये राजस्व अर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राजस्व अर्जन के साथ-साथ विभाग द्वारा शीरा एवं अल्कोहल पर आधारित उद्योगों की नीति निर्धारण नियंत्रण से प्रदेश के औद्योगिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश में मदिरा के व्यवसाय के एकान्तिक अधिकार के हस्तान्तरण से प्रदेश के राजस्व में आशानुरूप वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समय-समय पर आबकारी नीति में परिवर्तन/परिवर्धन किया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था में प्रयोगात्मक सुधारों से जहाँ एक ओर राज्य के लिये राजस्व अर्जन होता है, वहीं दूसरी ओर जनता को गुणवत्ता युक्त मानक मदिरा की प्राप्ति होती है, जिससे जन स्वास्थ्य व जनहित सुरक्षित रहता है।

आशा है कि प्रस्तुत संकलन विभागीय कार्यपूर्ति एवं उपलब्धियों की जानकारी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

अनुक्रमणिका

भाग-1

क्र० सं०	विषय	पृष्ठ संख्या
1	2	3
1.	प्रस्तावना	1
2.	नई आबकारी नीति की पृष्ठ भूमि	1
3.	जनस्वास्थ्य व आबकारी राजस्व की सुरक्षा हेतु सुरक्षा होलोग्राम का प्रयोग	1
4.	प्रदेश में नया पूँजी निवेश व औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन	1
	(क) शीरा	1
	(ख) अल्कोहल	2
	(ग) वर्ष 2012-13 की आबकारी नीति में अतिरिक्त राजस्व अर्जन हेतु किये गये प्राविधान	2
5.	कार्यक्षेत्र	5
6.	विभाग की प्रशासनिक संरचना	5
7.	मद्य निषेध नीति	5
8.	प्रदेश में नया पूँजी निवेश व औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन	6
8.	(क) शीरे का सुरक्षित भण्डारण एवं अधिकतम लाभकारी उपयोग	6
8.	(ख) अल्कोहल	8
8.	(ग) पर्यावरण की स्वच्छता	11
8.	(घ) अल्कोहल पर आधारित उद्योग तथा निर्माणशालाएं	11
8.	(ड.) अल्कोहल, भांग व नारकोटिक पदार्थयुक्त औषधियों की निर्माणशालाएं	11
9.	लाइसेंस नीति एवं कराधान प्रणाली	12
10.	आबकारी दुकानों के सृजन की नीति	13
11.	प्रवर्तन कार्य	13
11.	(क) विषाक्त शराब से होने वाली मौतों की रोकथाम	15
11.	(ख) स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स का गठन	17
12.	प्राविधिक कार्य	17
13.	पावर अल्कोहल से गैसोहाल बनाने की योजना	18
14.	आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश की प्रयोगशालाएं	19
15.	आडिट अनुभाग	21
16.	विधिक कार्य	21
17.	विभाग में ई-गवर्नेंस	22
18.	विभाग का सुदृढीकरण	22

भाग-2
परिशिष्ट

क्र०सं०	परिशिष्ट संख्या	विषय	पृष्ठ सं०
1.	परिशिष्ट संख्या-1	विभाग की प्रशासनिक संरचना	28
2.	परिशिष्ट संख्या-2	मुख्यालय की कार्यकारी संरचना	29
3.	परिशिष्ट संख्या-3	क्षेत्रीय स्तर पर आबकारी प्रशासन	30
4.	परिशिष्ट संख्या-4	विभाग में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण	31
5.	परिशिष्ट संख्या-5	चीनी मिलवार शीरे की उपलब्ध संचय क्षमता का विवरण	34
6.	परिशिष्ट संख्या-6	शीरा वर्ष 2006-07 से 2011-12 (31 मार्च 2012 तक) शीरे के उत्पादन, उठान तथा अवशेष का विवरण	36
7.	परिशिष्ट संख्या-7	आसवनियों की अधिष्ठापित क्षमता व पिछले पांच वर्षों का अल्कोहल उत्पादन का विवरण	37
8.	परिशिष्ट संख्या-8	प्रदेश में कार्यरत एल-1 फार्मियों का विवरण	40
9.	परिशिष्ट संख्या-9	प्रदेश में कार्यरत पार्टटाइम एल-1 इकाइयों का विवरण	41
10.	परिशिष्ट संख्या-10	वर्ष 2012-13 हेतु भाग की दुकानों के लिए न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का जनपद वार विवरण	42
11.	परिशिष्ट संख्या-11	वर्ष 2012-13 हेतु जनपदवार आबकारी दुकानों की संख्या का विवरण	45
12.	परिशिष्ट संख्या-12	वर्ष 2012-13 में आबकारी दुकानों के व्यवस्थापन से प्राप्त लाइसेंस फीस	51
13.	परिशिष्ट संख्या-13	वर्ष 2012-13 में विदेशी मदिरा की थोक बिक्री वार एवं विकृत रिप्रिट के अनुज्ञापनों के प्रकार एवं उनकी प्रभारवार संख्या का विवरण	57
14.	परिशिष्ट संख्या-14	(अ) विभिन्न मादक पदार्थों की थोक एवं फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के लिए वर्ष 2012-13 की लाइसेंसिंग प्रणाली का संक्षिप्त विवरण (ब) वर्ष 2012-13 के लिए विदेशी मदिरा की श्रेणियां, प्रतिफल व सूत्र (स) वर्ष 2012-13 के लिए अनुज्ञापनों की फीस का निर्धारण	58 60 62
15.	परिशिष्ट संख्या-15	प्रतिफल फीस की दरों का विवरण	63
16.	परिशिष्ट संख्या-16	निर्यात शुल्क की दरों का विवरण	64
17.	परिशिष्ट संख्या-17	विगत पांच वर्षों में विदेशी मदिरा के उपभोग का विवरण	65
18.	परिशिष्ट संख्या-18	विदेशी मदिरा एफ.एल.-6/7 तथा एफ.एल. 9/9ए के उपभोग का गत पांच वर्षों का विवरण	65
19.	परिशिष्ट संख्या-19	वर्ष 2011-12 में जनपदवार देशी शराब तथा भाग के उपभोग के आंकड़ों का विवरण	66
20.	परिशिष्ट संख्या-20	वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-11 व 2011-12 में प्रयोगशालाओं द्वारा विश्लेषित नमूनों व उनसे अर्जित परीक्षण शुल्क का विवरण	68
21.	परिशिष्ट संख्या-21	केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा गत 3 वर्षों के विश्लेषित नमूने व उनसे अर्जित परीक्षण शुल्क का विवरण	68
22.	परिशिष्ट संख्या-22	स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स इकाइयों के गठन की स्थिति	70
22.	परिशिष्ट संख्या-23	आबकारी विभाग की ई मेल आई डी का विवरण (क) मुख्यालय/कैम्प कार्यालय के अधिकारियों/अनुभाग अधिकारियों की ई मेल आई डी (ख) मुख्यालय के अनुभागों की ई मेल आई डी (ग) संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन के अधिकारियों की ई मेल आई डी (घ) उप आबकारी आयुक्त, प्रभार के अधिकारियों की ई मेल आई डी (ङ) जिला आबकारी अधिकारियों की ई मेल आई डी	71 72 73 73 74
23.	परिशिष्ट संख्या-24	आबकारी विभाग के सी0यू0जी0 मोबाइल नम्बर का विवरण (क) मुख्यालय के अधिकारियों/अनुभाग अधिकारियों के सी0यू0जी0 नम्बर (ख) संयुक्त आबकारी अधिकारियों के सी0यू0जी0 नम्बर (ग) उप आबकारी अधिकारियों के सी0यू0जी0 नम्बर (घ) जिला आबकारी अधिकारियों के सी0यू0जी0 नम्बर (ङ) प्रवर्तन अधिकारियों के सी0यू0जी0 नम्बर (च) आसवनी के अधिकारियों के सी0यू0जी0 नम्बर (छ) एस0एस0एफ0 अधिकारियों के सी0यू0जी0 नम्बर	77 78 78 79 81 82 84

आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यपूति दिग्दर्शक

वर्ष 2012 – 2013

1. प्रस्तावना –

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-47 में निरूपित सिद्धान्त के अनुरूप प्रदेश के आबकारी प्रशासन की मौलिक नीति मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नयन, प्रवर्तन एवं प्रभावीकरण है। तदनुसार मद्य निषेध की नीति को प्रमुखता देते हुए विभाग सुनिश्चित करता है कि उपयुक्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण द्वारा मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व प्राप्त किया जाय।

प्रदेश के विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं हेतु राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में आबकारी विभाग का प्रमुख स्थान है। वर्तमान में प्रदेश में व्यापार कर एवं निबंधन विभाग के बाद आबकारी की प्राप्तियाँ ही सर्वाधिक हैं। आबकारी विभाग पर होने वाला कुल व्यय इस विभाग द्वारा अर्जित सकल राजस्व का लगभग एक प्रतिशत है। इस प्रकार विभाग द्वारा अर्जित किये गये राजस्व का लगभग 99 प्रतिशत भाग राज्य की विकास योजनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

2. नयी आबकारी नीति की पृष्ठभूमि –

प्रदेश में प्रचलित आबकारी नीति वर्ष 2001-02 से प्रभावी है। उत्तर प्रदेश में मदिरा व्यवसाय पर बड़े ठेकेदारों का एकाधिकार समाप्त करने, नये उद्यमियों एवं व्यवसायियों को मदिरा व्यवसाय में प्रवेश के अवसर उपलब्ध कराने, उपभोक्ताओं को मानक गुणवत्ता की मदिरा उचित दाम पर उपलब्ध कराने व प्रदेश के राजस्व में समुचित वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान आबकारी नीति लागू की गयी है। इसमें समय-समय पर प्रयोगात्मक आधार पर यथावश्यकता वर्षानुवर्ष परिवर्तन व परिवर्धन किये जाते रहे हैं। वर्तमान आबकारी नीति के अंतर्गत आबकारी राजस्व में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

3. जन स्वास्थ्य व आबकारी राजस्व की सुरक्षा हेतु सुरक्षा होलोग्रामों का प्रयोग –

नयी आबकारी नीति के अन्तर्गत प्रदेश में विक्रय की जाने वाली सभी प्रकार की मदिरा की बोतलों/कैन्स पर आबकारी विभाग के सुरक्षा होलोग्राम लगाने का निर्णय लिया गया है, जिससे जहाँ एक ओर आबकारी राजस्व के अपवंचन पर नियन्त्रण सम्भव हो सका है, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं के लिए भी मानक गुणवत्ता की असली मदिरा व अवैध/नकली मदिरा के बीच पहचान करना सम्भव हो सका है। सुरक्षा होलोग्रामों के प्रयोग से जहाँ अवैध/तस्करी से लायी गयी मदिरा पर नियंत्रण करने में सुविधा हुई है, वहीं जन सामान्य में जागरूकता उत्पन्न होने से अवैध/नकली/जहरीली मदिरा के प्रचलन से होने वाली जन हानि पर भी अंकुश लगा है। होलोग्रामों के फीचरों में प्रतिवर्ष परिवर्तन कर होलोग्राम की गुणवत्ता को निरन्तर बनाये रखा जाता है।

4. प्रदेश में नया पूँजीनिवेश व औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन –

(क) **शीरा** – प्रदेश के कृषि उपज में गन्ने का एक बहुत बड़ा भाग है। इस गन्ने का पूर्णता से उपभोग राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए नितान्त आवश्यक है। गन्ने से चीनी के अतिरिक्त उप उत्पाद के रूप में शीरा भी प्राप्त होता है, जिसका उपयोग अल्कोहल निर्माण में होने के साथ-साथ आर्गैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ईस्ट निर्माण, पशु एवं कुक्कुट आहार, कोयला टिकली उद्योग तथा कार्बन एवं ढलाई उद्योगों में किया जाता है। अब प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या 158 हो गयी है। इन सभी चीनी मिलों में इस महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पाद शीरे को संरक्षित करने के लिए 227.95 लाख कु0 संचय क्षमता उपलब्ध है।

(ख) **अल्कोहल** – आबकारी विभाग देशी/विदेशी मदिरा, बियर और भांग से राजस्व अर्जित करने वाला विभाग समझा जाता है। वास्तव में प्रदेश में उत्पादित अल्कोहल का 67 से 76 प्रतिशत भाग औद्योगिक विकास हेतु प्रदेश के उद्योगों द्वारा जनोपयोगी महत्वपूर्ण पदार्थों के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। अथवा प्रदेश/देश के बाहर निर्यात किया जाता है। प्रदेश के बाहर अल्कोहल के निर्यात से राज्य को राजस्व प्राप्त होने के साथ-साथ कम अल्कोहल उत्पादन वाले

राज्यों को राजस्व अर्जन में सहायता मिलती है। वहीं देश के बाहर अल्कोहल निर्यात से देश की प्रगति के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित कराने में प्रदेश को एक महत्वपूर्ण स्थान भी प्राप्त हुआ है। अल्कोहल वर्ष 2009-10 में 301.39 मिलियन ली० अल्कोहल के स्थान पर वर्ष 2010-11 में 300.716 मिलियन ली० अल्कोहल प्रदेश के बाहर और 31.512 मिलियन ली० के स्थान पर 20.481 मिलियन ली० अल्कोहल देश के बाहर निर्यात किया गया।

आबकारी विभाग को केवल मदिरा, भांग आदि मादक पदार्थों की आपूर्ति एवं राजस्व अर्जन का विभाग मानना मात्र एक भ्रान्ति है। वस्तुस्थिति इस मिथ्या भ्रम से कुछ भिन्न है। प्रदेश में उत्पादित/आयातित कुल अल्कोहल का अधिकांश भाग अर्थात् 67 से 76 प्रतिशत औद्योगिक विकास हेतु प्रदेश के उद्योगों द्वारा जनोपयोगी महत्वपूर्ण पदार्थों के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है अथवा प्रदेश/देश के बाहर निर्यात किया जाता है, प्रदेश के बाहर अल्कोहल के निर्यात से जहाँ उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों की अल्कोहल की मांग पूरी करने में सहायक होता है वही प्रदेश सरकार को इस निर्यात से राजस्व की प्राप्ति होती है अल्कोहल को देश के बाहर निर्यात करके देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने में उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(ग) वर्ष 2012-13 की आबकारी नीति में अतिरिक्त राजस्व अर्जन हेतु किये गये प्राविधान :

आबकारी विभाग प्रदेश का राजस्व अर्जित करने वाला प्रमुख विभाग है। प्रदेश के कुल राजस्व का एक बड़ा भाग आबकारी विभाग द्वारा संग्रहीत कर राजकोष में जमा किया जाता है। विभाग द्वारा प्रदेश में आसवनियों के अनुज्ञापन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण द्वारा प्रदेश में औद्योगिक एवं पेय अल्कोहल के उत्पादन, मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन तथा अवैध मद्य निष्कर्षण व मदिरा की तस्करी की रोक-थाम के लिए कार्यवाही की जाती है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में राजस्व प्राप्ति हेतु निम्नलिखित प्राविधान किये गये हैं :-

1. वर्ष 2012-13 में देशी मदिरा के वर्ष 2011-12 के व्यवस्थित वार्षिक एम.जी.क्यू. (36 प्रतिशत वी/वी के टर्म में) 6 प्रतिशत की वृद्धि की गयी।
2. वर्ष 2012-13 में देशी शराब के बेसिक लाइसेंस फीस में प्रति लीटर रुपये 1/- की वृद्धि की गयी जिससे अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ।
3. वर्ष 2012-13 में देशी शराब के प्रतिफल फीस में रु० 2/- प्रति बी०एल० की वृद्धि करके रु० 159/- प्रति बी०एल० प्रतिफल फीस निर्धारित की गयी जिससे राजस्व में वृद्धि होगी।
4. वर्ष 2012-13 में निकायवार नवीनीकरण शुल्क में वृद्धि की गयी जिससे राजस्व में वृद्धि हुई।
5. वर्ष 2012-13 में सी०एल०-1बी अनुज्ञापनों के नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस में वृद्धि की गयी जिससे अतिरिक्त राजस्व अर्जन संभव हुआ।
6. इसी प्रकार वर्ष 2012-13 में सी०एल०-1सी अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस में भी वृद्धि की गयी जिससे अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हुई।
7. विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की वर्ष 2012-13 की लाइसेंस फीस में रु० 2/- प्रति बोतल अधिभार की वृद्धि की गयी जिससे राजस्व में वृद्धि हुई।
8. वर्ष 2012-13 में विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के नवीनीकरण शुल्क में निकायवार वृद्धि की गयी जिससे राजस्व में वृद्धि हुयी।
9. वर्ष 2012-13 में विदेशी मदिरा की श्रेणियों में 15 प्रतिशत (रु० 5/- के निकटतम गुणक में) की वृद्धि करके प्रतिफल फीस का निर्धारण किया गया जिससे राजस्व में वृद्धि हुयी।
10. वर्ष 2012-13 में अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर निर्धारित परमिट फीस में वृद्धि की गयी जिससे अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हुई।
11. वर्ष 2012-13 में बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेंस फीस में रु० 1/- प्रति बोतल अधिभार की वृद्धि की गयी जिससे राजस्व में वृद्धि संभव हुई।
12. वर्ष 2012-13 में देशी शराब, विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर दुकानों हेतु प्रोसेसिंग फीस में रु० 1000/- की वृद्धि की गयी।
13. इसी प्रकार वर्ष 2012-13 में बीयर दुकानों के लिये नवीनीकरण शुल्क में भी निकायवार वृद्धि की गयी जिससे राजस्व की प्राप्ति हुयी।
14. वर्ष 2012-13 में बीयर की दोनों श्रेणियों की प्रतिफल फीस में वृद्धि की गयी। माइल्ड बीयर में रु० 5 प्रति बोतल (650 एम.एल.) व स्ट्रॉंग बीयर में रु० 6 प्रति बोतल (650 एम.एल.) की वृद्धि की गयी।
15. वर्ष 2012-13 में मॉडल शाप के नवीनीकरण शुल्क में निकायवार वृद्धि की गयी जिससे अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति संभव हुई।

विगत 5 वर्षों में प्राप्त आबकारी राजस्व –

गत पाँच वर्षों की आबकारी राजस्व प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण निम्न प्रकार है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस विभाग ने न्यूनतम व्यय पर अधिकतम राजस्व अर्जित करके कार्य क्षमता एवं दक्षता के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। (करोड़ रुपये में)


वर्ष	निर्धारित राजस्व लक्ष्य	0039 राज्य उत्पाद शुल्क (कुल प्राप्तियाँ)	गतवर्ष की अपेक्षा वृद्धि (प्रतिशत में)	विभाग पर किया गया कुल व्यय	व्यय कुल राजस्व के विरुद्ध (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6
2006-07	3700.00	3551.93	15.00	37.34	1.05
2007-08	4192.00	3948.31	11.16	44.57	1.13
2008-09	5040.00	4720.18	19.55	50.24	1.06
2009-10	5500.00	5665.98	20.04	70.86	1.25
2010-11	6770.00	6725.53	18.70	95.72	1.42
2011-12	8625.00	8139.09	21.02	101.26	1.24

अल्कोहल के उत्पादन, औद्योगिक उपयोग एवं निर्यात की स्थिति (मिलियन लीटर में) निम्नवत् है –


अल्कोहल वर्ष	अल्कोहल का उत्पादन	पी.डी. 2 के अन्तर्गत बाहर से आयातित	पेय अल्कोहल की खपत	अपेय अल्कोहल की प्रदेश में खपत	प्रदेश के बाहर निर्यात	देश के बाहर निर्यात	योग (5+6+7)	अपेय अल्कोहल व निर्यात का योग कुल उत्पादन एवं आयातित के विरुद्ध % में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2005-06	611.70	—	116.23	261.59	226.86	17.89	506.34	82.77
2006-07	822.45	7.32	128.07	317.54	362.11	13.82	693.47	84.32
2007-08	833.46	12.92	136.81	276.09	390.75	11.64	678.48	81.40
2008-09	439.84	75.74	135.17	145.07	195.29	6.18	346.54	78.79
2009-10	599.29	32.78	139.66	157.29	301.39	31.51	490.19	77.55
2010-11	669.18	0.50	152.31	230.99	300.72	20.48	552.19	82.46

राज्य के औद्योगिक विकास में आबकारी विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है। सर्वांगीण औद्योगिक विकास मुख्यतया उद्योग स्थापना के लिए उपयुक्त वातावरण, बिजली, कोयला, विभिन्न अनुज्ञापन प्राप्त करने की सुगमता, विकसित औद्योगिक केन्द्र कुशल कारीगर एवं उत्पाद की बिक्री एवं खपत व कच्चे माल की उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के औद्योगिक विकास में आबकारी विभाग उद्योगों को शीरा एवं अल्कोहल उपलब्ध कराने, युक्तिसंगत कराधान एवं सुलभ लाइसेंसिंग प्रणाली निरूपित करने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

विगत् 5 अल्कोहल वर्षों में पेय एवं अपेय मद में अल्कोहल का तुलनात्मक खपत (मिलियन लीटर में)



विगत् 5 अल्कोहल वर्षों में अल्कोहल उत्पादन (मिलियन लीटर में)



5. कार्य क्षेत्र –

1- आबकारी विभाग द्वारा निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत कार्य किये जाते हैं :-

क्रमांक	कार्यक्षेत्र	सुसंगत अधिनियम व नियम
1.	देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, भांग तथा अन्य पदार्थ जो मादक घोषित हों।	: संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली।
2.(अ)	अफीम का क्रय-विक्रय एवं उसका दवाओं के लिए उपयोग	: स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली।
(ब)	नारकोटिक पदार्थों पर नियंत्रण	: यथा उपरोक्त
(स)	अफीम, चरस एवं गांजा का मादक पदार्थ के रूप में निषेध	: यथा उपरोक्त
3.	चीनी मिलों में उत्पादित शीरे का संग्रहण, श्रेणीकरण, संभरण व वितरण	: उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 तथा तत्सम्बन्धी नियमावली
4.	अल्कोहल एवं नारकोटिक युक्त औषधियों का उत्पादन, कर वसूली आदि	: स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम – 1985 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली तथा मेडिसिनल एण्ड ट्वायलेट प्रिपरेशंस (एक्साइज ड्यूटीज) अधिनियम 1955 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली
5.	अल्कोहल का विक्रय	: यू.पी. सेल्स ऑफ मोटर स्पिट, डीजल, आयल एण्ड अल्कोहल टैक्सेशन ऐक्ट, 1939 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली
6.	अल्कोहल युक्त औषधियों का अन्तर्राज्यीय व्यापार	: स्पिरिटुअस प्रिपरेशंस (इण्टर स्टेट ट्रेड एण्ड कामर्स) कन्ट्रोल ऐक्ट, 1955 एवं तत्संबन्धी नियमावली।
7.	मिथाइल अल्कोहल नामक घातक विष को कब्जे में रखने व उसके क्रय पर नियंत्रण व इससे विषाक्त मदिरा काण्डों की रोकथाम	: विष अधिनियम, 1919 तथा उत्तर प्रदेश प्वायजन्स (रेगुलेशन ऑफ पजेशन एण्ड सेल) नियमावली, 1994

6. विभाग की प्रशासनिक संरचना –

विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण आबकारी आयुक्त के अधीन है जो शासन द्वारा नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपरटाइम स्केल के अधिकारी होते हैं। विभागाध्यक्ष के रूप में शासन के निर्देशान्तर्गत समस्त विभागीय कार्यकलापों का संचालन एवं नियंत्रण उनके द्वारा किया जाता है। विभाग की प्रशासनिक संरचना परिशिष्ट-1, में आबकारी मुख्यालय की कार्यकारी संरचना परिशिष्ट-2 में तथा क्षेत्रीय स्तर पर आबकारी प्रशासन की व्यवस्था परिशिष्ट-3 में दर्शायी गयी है। विभाग में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-4 में दर्शाया गया है।

7. मद्य निषेध नीति –

(क) वृन्दावन, अयोध्या, चित्रकूटधाम, मिश्रिख (नैमिषारण्य), देवाशरीफ तथा देवबन्द के धार्मिक स्थलों में मद्यनिषेध लागू है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी एवं श्री कृष्ण जन्म स्थल मथुरा एवं इलाहाबाद में संगम की परिधि के चारों ओर के एक किलोमीटर के अन्तर्गत शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है। इसके अतिरिक्त डा0 भीमराव अम्बेडकर जन्म दिवस (14 अप्रैल), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), महात्मा गांधी जन्म दिवस (2 अक्टूबर) एवं गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) को तथा जिलाधिकारी के आदेशानुसार वर्ष में तीन दिन समस्त आबकारी दुकानें बन्द रखी जाती हैं।

(ख) मद्य निषेध की दिशा में उठाये गये अन्य कदमों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र०	वर्ष	मद्य निषेध की दिशा में उठाये गये कदम
1.	1946	पूरे प्रदेश में चरस के आयात, निर्यात, परिवहन व विक्रय पर निषेध।
2.	1956	पूरे प्रदेश में गांजा के अनौषधीय प्रयोग पर निषेध।
3.	1959	पूरे प्रदेश में अफीम के अनौषधीय प्रयोग पर निषेध।
4.	1976	मदिरा के विज्ञापनों पर रोक लगायी गयी।
5.	1977	गांजे के प्रयोग पर पूर्ण निषेध।
6.	1978	मदिरा के रूप में दुरुपयोग की जाने वाली अल्कोहल युक्त 19 औषधियों को 'लिकर' घोषित किया गया।
7.	1985	मदिरा के रूप में दुरुपयोग की जाने वाली अल्कोहल युक्त 3 औषधियों को 'लिकर' घोषित किया गया।
8.	1991	मदिरा के रूप में दुरुपयोग की जाने वाली अल्कोहलयुक्त 49 आयुर्वेदिक औषधियों को 'लिकर' घोषित किया गया।
9.	1991	समस्त पेटेन्ट एण्ड प्रोप्राइटरी औषधियों जिसमें 12 प्रतिशत/वी/वी से अधिक अल्कोहल हो, 'लिकर' घोषित किया गया।

8. प्रदेश में नया पूँजीनिवेश व औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन -

प्रदेश के कृषि उपज में गन्ने का एक बहुत बड़ा भाग है। इस गन्ने का पूर्णता से उपभोग राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए नितान्त आवश्यक है। गन्ने से चीनी के अतिरिक्त उप उत्पाद के रूप में शीरा भी प्राप्त होता है, जिसका उपयोग अल्कोहल निर्माण में होने के साथ-साथ आर्गजेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ईस्ट निर्माण, पशु एवं कुक्कुट आहार, कोयला टिकली उद्योग तथा कार्बन एवं ढलाई उद्योगों में किया जाता है। अब प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या 158 हो गयी है। इन सभी चीनी मिलों में इस महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पाद शीरे को संरक्षित करने के लिए लगभग 227.95 लाख कुण्टल संचय क्षमता उपलब्ध है।

8. (क) शीरे का सुरक्षित भण्डारण एवं अधिकतम लाभकारी उपयोग -

गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश, देश का अग्रणी राज्य है और प्रदेश में उत्पादित गन्ने की पेरार्ड चीनी मिलों में करवाकर ही किसानों को गन्ने का उचित मूल्य दिलवाया जा सकता है। देश में चीनी उद्योगों की स्थापना में गति लाने के उद्देश्य से वर्ष 1930 के दशक में भारत सरकार द्वारा कतिपय प्रोत्साहन देते हुए एक चीनी नीति बनाई गयी थी। इस नीति का लाभ उठाकर उत्तर प्रदेश में अनेक चीनी मिलों की स्थापना इस दशक में हुई। वर्तमान शीरा सत्र 2011-12 में प्रदेश में कुल स्थापित चीनी मिलों की संख्या 158 है। चीनी मिलों से निकलने वाले शीरे की खपत के लिए शीरे पर आधारित आसवनियां व अन्य उद्योग पहले प्रदेश में उपयुक्त संख्या में स्थापित नहीं हुए थे और न ही उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने की कोई नीति ही थी। इसके परिणामस्वरूप चीनी मिलों को अपनी फैक्ट्री में उत्पादित किन्तु भारी मात्रा में अप्रयुक्त शीरे को फैक्ट्री परिसर से उठाकर बाहर फिकवाने के लिए चीनी मिलों को अतिरिक्त धन व्यय करना पड़ता था। शीरे के निस्तारण की समस्या और इस निस्तारण से उत्पन्न प्रदूषण से बचने के लिए विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ शीरे पर आधारित आसवनियां एवं अन्य उद्योग स्थापित हुए, जिससे अब वर्तमान में चीनी मिलों में उत्पादित सम्पूर्ण शीरे का सदुपयोग हो रहा है तथा वर्तमान में शीरा, आसवनियों में उत्पादित होने वाले अल्कोहल का प्रमुख कच्चा माल है। आसवनियों के अतिरिक्त शीरे का उपयोग कच्चे माल के रूप में आर्गजेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, कोयला टिकली, पशु एवं कुक्कुट आहार, बेकर यीस्ट, कार्बन एवं ढलाई उद्योग आदि में किया जाता है। अतः शीरे जैसे बहुपयोगी कच्चे माल का सुरक्षित भण्डारण प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। शीरा सत्र 2010-11 में (1 नवम्बर, 2010 से 31 अक्टूबर, 2011 तक) में 328.26 लाख कुण्टल शीरे का उत्पादन हुआ है। चालू शीरा सत्र 2011-2012 में (31 मार्च 2012 तक) कुल 365.84 लाख कुण्टल शीरा उत्पादित हुआ है।

प्रदेश में शीरे के उत्पादन के दो श्रोत हैं-

1. वैक्यूम पैन पद्धति से चीनी बनाने वाली चीनी मिलों द्वारा।

2. खाण्डसारी इकाईयों द्वारा।


अभी तक प्रदेश में खाण्डसारी इकाईयों द्वारा उत्पादित शीरे पर आबकारी विभाग का सीधे कोई नियंत्रण नहीं है परन्तु खाण्डसारी इकाईयों द्वारा शीरा निर्यात किये जाने हेतु शीरा नियंत्रक द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 एवं उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974 के अन्तर्गत चीनी मिलों में उत्पादित शीरे पर राज्य सरकार नियंत्रण रखती है तथा प्रदेश के आबकारी आयुक्त, शीरा नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। नियमानुसार शक्कर के किसी कारखाने का प्रत्येक अध्यासी कारखाने के भू-गृहादि के भीतर उतनी संख्या और आकार की संग्रहण टंकियां रखेगा जिससे कि एक बार में कारखाने के लिए तत्समय रजिस्ट्रीकृत पूर्ण पेराई क्षमता के अनुसार 140 कार्य दिवसों में पेरे जाने वाले सम्पूर्ण गन्ने के 4 प्रतिशत के हिसाब से संगणित शीरे की कुल उत्पादन का कम से कम पचास प्रतिशत या पिछले चार वर्ष के सर्वाधिक कुल उत्पादन का पचास प्रतिशत, जो भी अधिक हो, की व्यवस्था अनिवार्य है। शीरा वर्ष 2010-11 तक प्रदेश में कुल 157 वैक्यूम पैन वाली चीनी मिलें थी, जिसमें से उक्त वर्ष में 32 चीनी मिलें बिल्कुल नहीं चली थी जिससे प्रदेश में गत शीरा वर्ष में चालू चीनी मिलों की संख्या 125 थी। ये बन्द चीनी मिलें— रामपुर, कठकुइयां, गौरी बाजार, आनन्दनगर, नवाबगंज, नन्दगंज, महौली, बरेली, बाराबंकी, छितौनी, मुन्डेरवा, हरदोई, मलियाना, घुंघली, औराई, धुरियापार, सठियांव, भटनी, बुढवल, देवरिया, बैतालपुर, पिपराइच, रामकोला—के, शाहगंज, छाता, दरियापुर, घाटमपुर, लक्ष्मीपुर, कमलापुर, पुवायां, मझोला एवं मोहिउद्दीनपुर थी।

इन बन्द चीनी मिलों में से 3 भारत सरकार की, 23 उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की एवं 5 उत्तर राज्य सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड की एवं एक निजी क्षेत्र की चीनी मिलें थी।

विगत 5 वर्षों में शीरे के उत्पादन तथा खपत आदि का विवरण निम्नवत् है (लाख कुन्टल में)

वर्ष	गत वर्ष का अवशेष	वर्ष में उत्पादन	कुल उपलब्धता	गृह खपत	निर्यात	कुल खपत
1	2	3	4	5	6	7
2006-07	12.07	468.62	480.69	419.30	24.75	444.05
2007-08	35.43	374.15	409.58	390.57	2.54	393.11
2008-09	14.99	225.90	240.89	213.84	1.63	215.47
2009-10	25.41	291.42	316.83	276.41	10.02	286.43
2010-11	28.92	328.26	357.18	303.83	5.62	309.45
2011-12 (31 मार्च 2012 तक)	45.69	365.84	411.53	217.71	0.84	218.55

उक्त 5 वर्षों में शीरे के उत्पादन, उठान तथा अवशेष का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-6 में दिया गया है। शीरे की उपलब्धता एवं खपत का चित्रण निम्नवत् है



8.(ख) अल्कोहल -

आबकारी विभाग के राजस्व का मुख्य स्रोत अल्कोहल है जो आसवनियों द्वारा उत्पादित किया जाता है। इस समय प्रदेश में 59 आसवनियों शीरे एवं 1 आसवनियों गैर परम्परागत स्रोतों तथा एक आसवनी गैर परम्परागत स्रोत/शीरा पर आधारित हैं। इस प्रकार प्रदेश में कुल 61 आसवनियों हैं। इनमें से 5 पेय, 27 औद्योगिक, 25 मिश्रित एवं 4 रासायनिक उद्योगों की सह-आसवनियाँ हैं। प्रदेश में 7 आसवनियाँ सरकारी/सहकारी क्षेत्र में तथा 54 आसवनियाँ निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में बियर उत्पादन हेतु 6(छः) यवासवनियाँ हैं।

अल्कोहल वर्ष 2006-07 से अल्कोहल वर्ष 2010-11 में वर्षवार अल्कोहल का उत्पादन/खपत एवं अवशेष का विवरण (लाख ब०ली० में) निम्नवत् है -

क्र०सं०	विवरण	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-11
1	प्रारम्भिक अवशेष	224.05	271.62	534.83	839.11	819.30
2	अल्कोहल का उत्पादन	8224.51	8334.60	4398.40	5992.91	6691.82
3	आसवनियों द्वारा देश के बाहर से आयातित	73.24	129.22	757.42	327.78	4.98
	योग	8521.80	8735.44	5690.65	7159.80	1516.10
4	उपभोग (गृहखपत)					
	1. पेय	1280.75	1368.07	1351.69	1396.60	1523.10
	2. औद्योगिक	2176.27	1791.32	885.01	1111.41	1124.34
	3. अन्य	999.17	696.60	565.69	461.54	1185.62
	योग	4456.19	4128.99	2802.39	2969.55	3833.06
5	निर्यात-1. अन्य राज्यों को	3621.06	3907.51	1952.85	3013.88	3007.16
	2. देश के बाहर	138.16	116.44	61.83	315.12	204.81
	योग	3759.22	4023.95	2014.68	3329.00	3211.09
6	कुल उपभोग	8215.41	8152.94	4817.07	6298.55	7045.03
7	लेखानुसार अवशेष	306.39	582.50	873.58	861.25	471.07
8	छीजन	34.77	47.67	34.47	41.95	38.68
9	वास्तविक अवशेष	271.62	534.83	839.11	819.30	432.39

उत्तर प्रदेश में 6 यवासवनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-2007 से 2011-2012 में बियर के वास्तविक उत्पादन का विवरण निम्नवत् है बियर का उत्पादन (हजार ब. ली. में)

क्र.सं.	यवासवनी का नाम	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	मोहन मीकिन्स, गाजियाबाद	24772	20971	20322	22451	20739	15232
2.	मोहन गोल्डवाटर, लखनऊ	8893	4272	2545	7999	9727	8333
3.	नारंग ब्रिवरीज, गोनडा	---	---	---	---	---	---
4.	स्काल (सेन्द्रल) ब्रेवरी, मेरठ	26580	30540	34389	23030	24773	18150
5.	मानव ब्रिवरीज, गाजियाबाद	10896	12635	9899	11875	14070	10644
6.	वेव ब्रिवरीज, अलीगढ़	0	0	0	0	0	23625
	योग	71141	68418	67155	65355	69309	75984

अल्कोहल वर्ष 2006-2007 से 2010-2011 में राज्य में औद्योगिक इकाइयों द्वारा अल्कोहल की खपत (लाख लीटर में) का विवरण निम्न प्रकार है -

क्र.सं.	इकाई का नाम	2006-07	2007-08	2008-09	2009-2010	2010-2011
1	सिन्थेटिक्स एण्ड केमिकल	बन्द है।				
2	सोमैया आर्गेनिक्स	29.94	84.48	00.00	00.00	0.00
3	जुबिलेन्ट आर्गोनोसिस लिमिटेड	1912.03	1450.00	792.27	894.67	939.01
4	धामपुर सुगर मिल्स	234.30	205.62	25.64	147.97	89.31
5	विजयश्री	बन्द है				
6	ओसवाल केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर्स	बन्द है				
7	गाजियाबाद आर्गेनिक्स	0	51.22	14.00	2.08	28.56
8.	अन्य गृह खपत	999.17	969.62	565.69	461.54	1185.62
	योग	3175.44	2760.94	1397.60	1506.25	2242.50

वित्तीय वर्ष 2006-2007 से 2011-2012 में विभिन्न प्रकार के आसवों का उत्पादन (हजार ब. ली. में) निम्नवत् हुआ -

वर्ष	पूर्ण मद्यसार	परिशोधित स्पिट	देशी शराब	विकृत स्पिट वि. स्पिट	भा. नि. विदेशी मदिरा
2006-07	43341	580136	205047	347580	128994
2007-08	122293	696448	202141	431347	136946
2008-09	89312	485396	216658	285810	132547
2009-10	20732	325860	226017	90276	135345
2010-11	78342	381405	234769	241679	145194
2011-2012	99696	433026	249789	283381	164175

प्रदेश में अल्कोहल उत्पादन के अल्कोहल वर्ष 2006-2007 से 2010-2011 तक के आसवनीवार आंकड़े परिशिष्ट-7 पर दर्शाये गए हैं।

8.(ग) पर्यावरण की स्वच्छता –

पर्यावरण की स्वच्छता को बनाये रखने के लिए विभाग द्वारा देशी शराब की आपूर्ति पाउच के स्थान पर बोतल में करने का निर्णय लिया गया है जिससे मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त होगी जो स्वयं में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।

8.(घ) अल्कोहल पर आधारित उद्योग तथा निर्माणशालायें –

अल्कोहल पर आधारित रासायनिक उद्योगों को उनकी कार्य-प्रणाली एवं अनुज्ञापन दिये जाने की दृष्टि से निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है—

1. एफ. एल.-39 प्रकार के उद्योग –

इस श्रेणी में ऐसे उद्योग आते हैं जो अल्कोहल को अन्य रासायनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं अथवा उत्पादन प्रक्रिया में अल्कोहल पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है और अन्तिम उत्पाद के रूप में अल्कोहल से एसिटिक एसिड, ईथर, स्टाइरिन, ब्यूटाइलएसीटेट पाली इथलीन, इथलीन, ग्लाइकाल, विनायल एसीटेट मोनोमर, इथाइलीन ऑक्साइड, डेरीवेटिव्स आदि का उत्पादन करने वाले उद्योग आते हैं। प्रदेश में ऐसे 18 अनुज्ञापन कार्यरत हैं जिन्हें कुल 3920.19 लाख ब. ली. एस. डी. एस. का कोटा आवंटित है।

2. एफ. एल.-40 प्रकार के उद्योग –

इस श्रेणी में ऐसे उद्योग आते हैं, जिसमें अल्कोहल का प्रयोग विलायक के रूप में अथवा माल तैयार करने में प्रयोग किया जाता है और इस उत्पाद में अल्कोहल नहीं होता है जिसे सामान्यतया पुनः प्रयोग के लिये प्राप्त किया जाता है। इस श्रेणी में सेल्यूलोज और उसके डेरीवेटिव्स, पेक्टिन, लिवर एक्सट्रेक्ट आदि निर्माण करने वाले उद्योग आते हैं। प्रदेश में ऐसे 10 उद्योग कार्यरत हैं, जिन्हें 22.64 लाख बल्क लीटर स्पेशल डिनेचर्ड स्पिरिट का कोटा आवंटित है।

3. एफ. एल.-41 प्रकार के उद्योग –

इस श्रेणी में ऐसे उद्योग आते हैं, जिसमें अल्कोहल का प्रयोग अन्तिम उत्पाद के एक घटक अथवा वेहिकल के रूप में किया जाता है और अन्तिम उत्पाद में अल्कोहल उपस्थित रहता है। इस श्रेणी में अल्कोहल से पेण्ट, थिनर, लेकर्स, पालिश इत्यादि निर्माण करने वाले उद्योग आते हैं। प्रदेश में ऐसे 15 उद्योग कार्यरत हैं, जिन्हें कुल 55.55 लाख बल्क लीटर स्पेशल डिनेचर्ड स्पिरिट का कोटा आवंटित है।

3. (क) . एफ. एल.-41 (पेट्रोलियम इकाइयों हेतु) –

भारत सरकार द्वारा इंडियन पावर अल्कोहल एक्ट 1948 को रिपील कर दिये जाने के क्रम में शासन ने पेट्रोलियम इकाइयों को पी.ए.-5 के स्थान पर एफ0एल0-41 स्वीकृत किये जाने का निर्णय लेते हुए अधिसूचना संख्या-3285/दो-805 ए/गैसो हाल/मिसलेनियस दिनांक 22.7.2003 जारी की गई। उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में स्थित 34 पेट्रोलियम डिपुओं को एफ0एल0 41 अनुज्ञापन निर्गत किए गये जिन्हें उक्त अनुज्ञापन के अंतर्गत 798.26 लाख लीटर पावर अल्कोहल का कोटा आवंटित किया जा चुका है।

8.(ड.) अल्कोहल, भांग तथा नारकोटिक पदार्थ युक्त औषधियों की निर्माणशालायें –

अल्कोहल, भांग व नारकोटिक पदार्थ युक्त औषधियों व सौन्दर्य प्रसाधन सामग्रियों का निर्माण करने वाली फार्मसियों को मेडिसीनल एण्ड ट्वायलेट प्रिपेरेशन्स (एक्साइज ड्यूटीज) नियमावली, 1956 के प्राविधानानुसार एल0- 1, पार्ट टाइम एल0- 1 तथा एल0- 2 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाते हैं।

1. एल0-1 बाण्डेड फार्मसी –

एल0-1 तथा पार्टटाइम एल0- 1 प्रकार के अनुज्ञापनों की स्वीकृति हेतु अनुज्ञापन प्राधिकारी आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश हैं। इस अनुज्ञापन के अन्तर्गत ऐसा परिसर अथवा उसका किसी प्रकार का ऐसा भाग आता है जो औषधीय व सौन्दर्य प्रसाधन सामग्रियों के निर्माण के लिए स्वीकृत व अनुज्ञापित किया गया हो और जिसमें अल्कोहल तथा भांग व स्वापक पदार्थों का प्रयोग औषधि तथा सौन्दर्य प्रसाधन सामग्रियों के निर्माण में किया जाता हो। इस श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली निर्माणशालाओं द्वारा बिना अभिकर जमा कराये बाण्ड के अन्तर्गत औषधियों व सौन्दर्य प्रसाधन सामग्रियों का निर्माण किया जाता है, परन्तु इस निर्मित उत्पादों को बाण्ड के बाहर, निकासी देने के पूर्व नियमानुसार सारा अभिकर

राजकीय कोष में जमा करा लिया जाता है। प्रदेश में इस समय एल0-1 प्रकार के 22 तथा पार्टटाइम एल0-1 प्रकार के 41 अनुज्ञापन कार्यरत हैं। इन अनुज्ञापनों के अन्तर्गत कुल 37.88 लाख अल्कोहलिक लीटर अल्कोहल का वार्षिक कोटा आवंटित है। (संलग्नक-परिशिष्ट- 8 व 9)

2. एल0-2 नान बाण्डेड फार्मसी -

एल0-2 प्रकार के नान बाण्डेड अनुज्ञापन स्वीकृत करने के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी जिलाधिकारी होते हैं, परन्तु इस प्रकार के अनुज्ञापनों को स्वीकृत करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, का अनुमोदन प्राप्त करना होता है। इन अनुज्ञापनों के अंतर्गत ऐसा परिसर अथवा उसका किसी प्रकार का ऐसा भाग आता है जो औषधीय व सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों के निर्माण व संग्रह के लिये स्वीकृत किया गया हो और इसके अंतर्गत अनुज्ञापनधारी फार्मसियों को अल्कोहल उठाने के पूर्व ही सम्पूर्ण अभिकर राजकोष में जमा करना होता है। अल्कोहल पर लगने वाला सम्पूर्ण अभिकर जमा कराने के पश्चात् एल0-2 फार्मसियों द्वारा अल्कोहल प्राप्त करके अल्कोहलयुक्त औषधियों का निर्माण बिना किसी बाण्ड के और बिना किसी आबकारी निरीक्षक की उपस्थिति के नियमानुसार किया जाता है। पूर्व में एल0-2 प्रकार के अनुज्ञापनों के अंतर्गत सभी प्रकार की औषधियाँ व सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों के निर्माण की अनुमति दी जाती थी, परन्तु शासन की वर्तमान नीति के अनुसार अब केवल होम्योपैथिक औषधियों के उत्पादन हेतु ही एल0-2 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में एल0-2 प्रकार की 26 फार्मसियाँ कार्यरत हैं, जिनके द्वारा केवल होम्योपैथिक औषधियों का ही निर्माण किया जा रहा है। इन फार्मसियों को लगभग 1.51 लाख अल्कोहलिक लीटर अल्कोहल का वार्षिक कोटा आवंटित है।

9. लाइसेंस नीति एवं कराधान प्रणाली -

आबकारी राजस्व का मुख्य भाग मादक पदार्थों पर प्रतिफल फीस के रूप में प्राप्त होता है।

भाग की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का वर्ष 2012-13 का विवरण परिशिष्ट-10 में प्रस्तुत है। जनपदवार आबकारी दुकानों की संख्या का वर्ष 2012-13 का विवरण परिशिष्ट-11 में दिया गया है। इसी प्रकार देशी मदिरा की दुकानों के वार्षिक व्यवस्थित एम0जी0क्यू0 व वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. पर निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस एवं विदेशी मदिरा, वीयर से प्राप्त लाइसेंस फीस का विवरण वर्ष 2012-13 का विवरण परिशिष्ट-12 में दिया गया है। विदेशी मदिरा की थोक बिक्री एवं विकृत स्पिरिट के अनुज्ञापनों के प्रकार एवं उनकी संख्या का विवरण परिशिष्ट-13 में प्रस्तुत है। वर्ष 2012-13 के विभिन्न अनुज्ञापनों हेतु लाइसेंस फीस का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-14(अ) में है। विदेशी मदिरा की श्रेणियाँ व प्रतिफल फीस का विवरण वर्ष 2012-13 का विवरण परिशिष्ट-14(ब) दिया गया है। दिनांक 01-04-2011 से बार अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस का विवरण परिशिष्ट-14(स) में उल्लिखित है।

वर्ष 2012-13 में प्रतिफल फीस की दरों का विवरण परिशिष्ट-15 में दर्शाया गया है। निर्यात शुल्क की दरों का विवरण परिशिष्ट-16 में प्रस्तुत है।

ताड़ी की दुकानें उन्ही स्थानों पर खोली गयी है, जहाँ ताड़ व खजूर के वृक्ष उपलब्ध है। प्रदेश के 22 जनपदों में ताड़ी की फुटकर दुकानों की व्यवस्था है।

10. आबकारी दुकानों के सृजन की नीति -

अवैध मद्य निष्कर्षण वाले क्षेत्र एवं सुदूर ग्रामीण अंचलों में अवैध, नकली व विषैली शराब की बिक्री से जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव की रोकथाम हेतु तथा शुद्ध व निर्धारित मानक के अनुरूप मदिरा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए नयी आबकारी दुकानों का सृजन किया जाता है। आबकारी दुकानों का सृजन करते समय यह विशेष ध्यान रखा जाता है कि उक्त दुकानें उत्तर प्रदेश आबकारी (दुकानों की संख्या एवं स्थिति) नियमावली-1968 (यथासंशोधित) के प्राविधानानुसार खोली जायें। देशी शराब, विदेशी मदिरा व वीयर तथा भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन जिलाधिकारी द्वारा कराया जाता है।

11. प्रवर्तन कार्य -

आबकारी विभाग प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा राजस्व अर्जक विभाग है, जो मादक पदार्थों के वैध उपभोग एवं व्यापार से राजस्व अर्जन करते हुए अवैध उपभोग एवं अवैध व्यापार का शमन करता है। सम्प्रति प्रदेश में वर्ष 2011-12 तक देशी मदिरा की 12716, विदेशी मदिरा की 4420, बियर की 3403, माडलशाप की 368 तथा भांग की 2232

अनुज्ञापित दुकाने हैं। अनुज्ञापित दुकानों से मादक पदार्थों की बिक्री के अतिरिक्त असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध मादक पदार्थों की बिक्री भी की जाती है, जिससे राजस्व एवं जनस्वास्थ्य की हानि के अतिरिक्त समय-समय पर अवैध शराब पीने से विषाक्त काण्ड द्वारा जन हानि भी हो सकती है। कतिपय अराजक तत्वों द्वारा जाने अनजाने मिथाइल अल्कोहल विष का प्रयोग भी कर लिया जाता है, जिससे जन हानि सम्भव है। अपराध शमन कार्य हेतु प्रत्येक जनपद को आवश्यकतानुसार अपराध निरोधक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें आबकारी निरीक्षक नियुक्त किये गये हैं। इनके पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जनपद में जिला आबकारी अधिकारी, मण्डल में उप आबकारी आयुक्त व जोन स्तर पर संयुक्त आबकारी आयुक्त नियुक्त हैं। उक्त के अतिरिक्त केवल अपराध निरोधक कार्य हेतु ही प्रत्येक मण्डल में सहायक आबकारी आयुक्त के अधीन दो आबकारी निरीक्षक, दो हेड कान्स्टेबल एवं दस कान्स्टेबल को सम्मिलित कर एक प्रवर्तन इकाई का गठन किया गया है। सम्पूर्ण प्रदेश को पाँच जोन में विभक्त कर इनमें नियुक्त संयुक्त आबकारी आयुक्त द्वारा भी पर्यवेक्षण कार्य हेतु अपना योगदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय स्तर पर आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के अधीन आबकारी अभिसूचना केन्द्र स्थापित है। अभिसूचना केन्द्र का नियंत्रण संयुक्त आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0 के अधीन है, जिनके सहायतार्थ पाँच उप आबकारी आयुक्त एक सहायक आबकारी आयुक्त, छः आबकारी निरीक्षक एवं बारह आबकारी सिपाही रहते हैं। आबकारी अभिसूचना केन्द्र (ई0आई0बी0) के अन्तर्गत आने वाली मण्डल स्तर पर स्थापित प्रवर्तन इकाईयाँ एवं आबकारी अभिसूचना केन्द्र आबकारी अपराधों एवं तस्करी की स्वयं पकड़-धकड़ करने के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में सूचनायें एकत्र कर विभिन्न जनपदों एवं देश के विभिन्न राज्यों के बीच आबकारी अपराधों से सम्बंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान भी करता है तथा भारत सरकार की नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो के सम्पर्क में रहता है। साथ ही देशी शराब तथा विदेशी मदिरा की दुकानों के उपभोग तथा उससे प्राप्त होने वाले राजस्व पर सतत् निगरानी रखता है। वर्तमान में आबकारी अपराधों के नियंत्रण हेतु सचल दल का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त ई0आई0बी0 अनुभाग विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त होने वाली शिकायतों की जाँच कार्यवाही सम्पादित करता है। आबकारी राजस्व की सुरक्षा एवं विभाग की कार्य कुशलता बढ़ाने में भी आबकारी अभिसूचना केन्द्र का महत्वपूर्ण योगदान है।

गत पाँच पूर्ण वर्षों में आबकारी स्टाफ एवं प्रवर्तन स्टाफ द्वारा पकड़े गये आबकारी अपराधों एवं इनमें समपहृत की गई मादक द्रव्यों की मात्रा निम्नवत है:-

अभियोगों का विवरण

क्र० संख्या	अभियोगों का प्रकार	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	आई0डी0	49306	52563	55783	58468	63128
2	ओ0एल0	32314	35007	36580	39471	42864
3	भांग	3401	3933	4256	4279	4859
4	गांजा	7	11	9	10	12
5	चरस	0	0	0	0	0
6	पी0एच0	0	0	0	0	0
7	अफीम/डि० स्प्रिट	1	31	19	10	4
8	मि० अल्कोहल	0	0	0	0	0
9	अन्य	2153	2236	2270	2395	2438
	योग	87182	95566	98915	104633	113305

सम्पूत अवैध मादक द्रव्य की मात्रा

1	शराब (ली0में)	1218741.90	1333641	1476537.4	1649390	1785276
2	भांग (कि0ग्रा0)	5738.39	13114	12365.3	7304	4180
3	गांजा (कि0ग्रा0)	113.70	944	44.7	47.81	53
4	चरस (कि0ग्रा0)	5.00	1.80	65.0	180.82	42
5	पी0एच0 (कि0ग्रा0)	0	0	0	0	0
6	हेरोइन/डि0 स्प्रिट	0	0	0	0	0
7	मि0 अल्कोहल (ली0में)	0	0	0	0	0
8	अफीम (कि0ग्रा0)	0	0	0	0	0

विदेशी मदिरा की थोक व फुटकर बिक्री के गत 10 पूर्ण वर्षों के आँकड़े परिशिष्ट-17 तथा विदेशी मदिरा एफ0एल0-6/ 7 व एफ0एल0-9/ 9ए के आँकड़े परिशिष्ट-18 एवं भांग के उपभोग के आँकड़े (जनपदवार) परिशिष्ट-19 में दर्शाए गये हैं।

आबकारी विभाग द्वारा अपने सीमित संसाधनों से आबकारी अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण कर अवैध मदिरा की बिक्री पर रोक थाम की गयी तथा अनुज्ञापित दुकानों पर भी प्रभावी नियंत्रण रखा गया, जिसके परिणाम स्वरूप देशी/ विदेशी मदिरा के वैध उपभोग में प्रायः वृद्धि है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

वर्ष	उपभोग देशी शराब (लाख ब0ली0में)	व्यतिक्रम प्रतिशत में	उपभोग विदेशी मदिरा(एफ0एल0-5) लाख बो0में			
			स्प्रिट	व्यतिक्रम प्रतिशत में	बियर	व्यतिक्रम प्रतिशत में
-200001	2204.35	(-) 8.9%	341.57	(-) 21.7%	259.75	(+) 0.2%
2001-02	2025.05	(-)8.1%	355.77	(+) 4.2%	352.05	(+) 35.5%
2002-03	2195.91	(+) 8.4%	450.37	(+) 26.6%	404.25	(+) 14.8%
2003-04	1639.86	(-) 25.2%	464.34	(+) 3.1%	387.84	(-) 4.1%
2004-05	1758.58	(+) 7.24	496.01	(+) 6.8%	419.49	(+) 8.2%
2005-06	1916.09	(+) 8.95	545.95	(+) 10.06%	489.36	(+) 16.7%
2006-07	1979.35	(+) 3.30	633.01	(+) 15.95%	597.13	(+) 22.0%
2007-08	2059.20	(+) 4.00	686.61	(+) 8.5%	662.58	(+) 11.0%
2008-09	2133.65	(+) 3.7	781.58	(+) 13.7%	721.15	(+) 8.8%
2009-10	2292.61	(+) 7.5	926.67	(+) 18.6%	916.04	(+) 27.0%
2010-11	2345.47	(+) 2.3	1090.95	(+) 17.7%	1171.64	(+) 27.9%
2011-12	2378.03	(+) 1.4	1221.34	(+) 12.0%	1472.40	(+) 25.7%

11.(क) विषाक्त शराब से होने वाली मौतों की रोकथाम के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही :-

मिथाइल अल्कोहल एक अत्यन्त विषैला रसायन है जो प्रदेश में गाजियाबाद की दो एवं बाराबंकी, कानपुर, इलाहाबाद तथा बुलन्दशहर जनपदों में स्थित एक-एक औद्योगिक इकाइयों से सह उत्पादन के रूप में निकलता है। मिथाइल अल्कोहल का रंग, गन्ध, बनावट आदि पेय मदिरा में प्रयुक्त होने वाले इथाइल अल्कोहल (रेक्टिफाइड स्प्रिट) से मिलता जुलता है, जिसके कारण भ्रम की स्थिति में कभी कभी इसका उपयोग अवैध अड्डों पर बिकने वाली अवैध मदिरा के रूप में भी किया जाता है।

गृह विभाग की अधिसूचना संख्या-3270/ 8-9-4(5)/ 89 दिनांक 31 जुलाई 1989 तथा उत्तर प्रदेश प्वाइजन्स (रेगुलेशन आफ पजेशन एण्ड सेल) (संशोधन) नियमावली 1994 के अन्तर्गत मिथाइल अल्कोहल को विष की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। तदनुसार विष नियमावली, 1921 के अन्तर्गत बिना लाइसेन्स प्राप्त किये मिथाइल अल्कोहल का संचय, विक्रय, परिवहन आदि नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त नियमावली के प्राविधानों के अनुसार मजिस्ट्रेट, निरीक्षक से ऊपर के पुलिस अधिकारी, तहसीलदार या मुख्य चिकित्साधिकारी इसके दुरुपयोग के लिए कार्यवाही हेतु सक्षम हैं। विभाग के अधिकारियों को उक्त नियमावली के अन्तर्गत अधिकार देने

हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया था जिसके परिप्रेक्ष्य में नियमावली को संशोधित कर आबकारी विभाग के आबकारी निरीक्षक के स्तर तथा उससे ऊपर के अधिकारियों को भी नियमावली में उल्लिखित अन्य अधिकारियों के समान अधिकृत किया गया है।

मिथाइल अल्कोहल को रजित किए जाने हेतु कर्मक के रूप में 0.0002% किस्टल वायलेट तथा तीक्ष्ण गंधकारक पदार्थ के रूप में 0.2% क्रोटनैल्डिहाइड मिलाये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त क्लोरल हाइड्रेट नामक विषैले एवं नशीले पदार्थ का अपमिश्रण ताड़ी एवं मदिरा में करने के कारण तैयार उक्त जहरीली शराब के सेवन से हुई मृत्यु का प्रकरण भी प्रकाश में आया है। क्लोरल हाइड्रेट का परीक्षण फील्ड स्तर पर करने हेतु आबकारी विभाग के अधिकारियों/ आबकारी निरीक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है। अधिकारियों को क्लोरल हाइड्रेट परीक्षण हेतु किट भी उपलब्ध कराई गयी है जिससे उसका परीक्षण मौके पर ही शीघ्रता से किया जा सके।

सीमित साधनों के कारण प्रयासों के बावजूद भी अकेले आबकारी विभाग मादक पदार्थों की बिक्री एवं तस्करी में लिप्त सुविधा सम्पन्न अर्वांचनीय तत्वों पर पूर्ण नियंत्रण करने में पूर्णतया सक्षम नहीं हो पाता है, जिस कारण आबकारी विभाग, पुलिस विभाग, जिला प्रशासन को सम्मिलित कर संयुक्त प्रवर्तन अभियान चलाए गए। उपरोक्त अभियान में ऐसे स्थानों ग्रामों को चिन्हित कर कार्यवाही की गयी जिनमें अवैध मद्य निष्कर्षण/ अवैध शराब का व्यापार हो रहा था। उक्त स्थानों में ईटें भट्टों के आस-पास का क्षेत्र, नदी, नहर, झील अथवा तालाब के सन्निकट स्थित ग्राम अथवा मलिन बस्तियों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैन्ड, नशीले पदार्थों की बिक्री के लिए कुख्यात ढाबों, होटलों तथा रेस्टोरेन्टों पर भी छापे की कार्यवाही की गई। उक्त अभियान के दौरान प्रवर्तन कार्य एवं अपहृत मादक पदार्थों की मात्रा का विवरण निम्नवत् है:-

क्रम संख्या	अभियोगों का प्रकार	01.04.20011 से 31.03.2012 तक
1	अवैध मद्यनिष्कर्षण	63128
2	अवैध मदिरा की तस्करी के अभियोग (राज्य सीमा के भीतर)	42864
3	अवैध मदिरा की तस्करी के अभियोग (अन्तर्राज्यीय)	6179
	शराब सम्बन्धी अभियोगों का योग	112171
4	भाग	4859
5	गांजा	12
6	ताड़ी/ हेरोइन/ चरस/ अन्य	2442
	योग	119484
अपहृत मात्रा		
1	शराब (ली0में)	1785276
2	भाग (कि0ग्रा0)	4180
3	गांजा(कि0ग्रा0)	53
4	अन्य/ ताड़ी/ चरस/ हेरोइन (ली0 में)	51205

आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा पुलिस विभाग एवं आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से माह अप्रैल, अक्टूबर (दीपावली), दिसम्बर 2011 (नववर्ष) एवं फरवरी व मार्च 2012 (होली) में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाये गये।

आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा आबकारी अपराधों में कठोर दण्ड के दृष्टिकोण से शराब के इस प्रकार के अपमिश्रण, जिसका जनस्वास्थ्य पर प्रभाव पड़े ऐसे मामलों में आई0पी0सी0 की धारा-272/273 की कार्यवाही हेतु निर्देश जारी किये गये, जो पूर्व में प्रचलित गैंगेस्टर एक्ट एवं गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही से भी अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो रही है।

11.(ख) स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स का गठन -

पूर्व स्थापित 29 आबकारी चेकपोस्टों को शासन द्वारा समाप्त कर दिये जाने की स्थिति में प्रभावी प्रवर्तन कार्य तथा मादक पदार्थों की तस्करी करापवचन पर नियंत्रण रखे जाने हेतु विभाग में कुल एस.एस.एफ. की 47 इकाइयों का गठन किया गया है। एस.एस.एफ. इकाईयां दो प्रकार की हैं। ए- श्रेणी व बी-श्रेणी। ए-श्रेणी में कुल 40 इकाइयां तथा

बी श्रेणी में कुल 7 इकाइयां गठित की गयी हैं। ये इकाइयां सीधे उप आबकारी आयुक्त, प्रभार एवं संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स के नियंत्रणाधीन होंगी। उक्त इकाइयों का प्रभारवार/जोनवार विवरण परिशिष्ट 22 में दिया गया है।

12. प्राविधिक कार्य –

प्राविधिक अनुभाग द्वारा प्रदेश के सभी बन्धित व अबन्धित औषधि निर्माणशालाओं अल्कोहल पर आधारित उद्योगों एवं आसवनियों पर प्राविधिक नियंत्रण रखने एवं उनकी समस्याओं एवं परिवर्तन एवं परिवर्धन क्षमता विस्तार के संबंध में आबकारी आयुक्त को यथावश्यक प्राविधिक परामर्श देने का कार्य किया जाता है।

वर्तमान में प्रदेश में 60 आसवनियाँ शीरे एवं 01 आसवनी गैर पम्परागत श्रोत पर आधारित हैं। इस प्रकार प्रदेश में कुल 61 आसवनियां कार्यरत हैं। इनमें से 5 पेय, 27 औद्योगिक, 25 मिश्रित एवं 4 रासायनिक उद्योगों की सह-आसवनियां हैं। प्रदेश में 7 आसवनियां सरकारी/सहकारी क्षेत्र में तथा 54 आसवनियां निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में वियर उत्पादन हेतु 6 (छः) यवासवनियाँ हैं।

इस अनुभाग द्वारा वर्ष 2011-12 में बंधित/अबंधित औषधि निर्माणशालाओं के क्रिया-कलापों का विवरण निम्नवत है:-

लाइसेंस का प्रकार	लाइसेंसों की संख्या	अल्कोहल का कोटा (लाख अल्कोहल लीटर में)	प्राप्त राजस्व (करोड़ रुपये में)	
			2010-2011	2011-2012
एल.-1	22	—	—	—
पार्ट टाइम एल.-1	41	37.88	—	7.28
एल.-2	26	1.51	6.32	—

शासन के निर्देशानुसार एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण हेतु एल0-2 अनुज्ञापन दिनांक 1 अप्रैल, 1992 से निरस्त कर दिये गये हैं। वर्तमान में नये एल-1 अनुज्ञापन शासन के अनुमोदन के पश्चात् स्वीकृत किये जा रहे हैं तथा एल0-2 अनुज्ञापन (होमियोपैथिक को छोड़कर) जारी नहीं किये जा रहे हैं। 1 अप्रैल, 1992 से पूर्व के एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक औषधि निर्माण करने वाले एल0-2 अनुज्ञापियों को शासन द्वारा निर्धारित उक्त नीति के अनुसार अनुज्ञापियों की सहमति पर एल0-1 अनुज्ञापन में परिवर्तित किया जा रहा है। आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण हेतु अल्कोहल का आवंटन नहीं किया जा रहा है। एल0-1 तथा एल0-2 अनुज्ञापनों के नवीनीकरण के समय उनके वार्षिक अल्कोहल के कोटे का पुनर्निर्धारण स्थानीय ड्रग निरीक्षक एवं आबकारी निरीक्षक की संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार परीक्षणोपरान्त किया जा रहा है। भाग युक्त औषधियों के निर्माण हेतु पार्ट टाइम एल0-1 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जा रहे हैं।

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 10 व 78 के प्राविधानानुसार राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1986 के अन्तर्गत पापी हैड (पापी स्ट्र) अर्थात् पोस्ता डोडा का क्रय-विक्रय तात्कालिक प्रभाव से (वैज्ञानिक एवं चिकित्सीय प्रयोग को छोड़कर) सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में निषिद्ध कर दिया गया है।

उपरोक्त नियमावली के अन्तर्गत नारकोटिक ड्रग्स के निर्माण, कब्जे में रखने, क्रय-विक्रय करने तथा परिवहन आदि प्रयोजनों के लिए निम्नानुसार अनुज्ञापन प्रदान किये जाते हैं:-

1. नारकोटिक्स ड्रग्स के थोक व्यापार (विनिर्माता और व्यापारी) का अनुज्ञापन- एन0डी0एल0डी0।
2. नारकोटिक्स ड्रग्स के परिवहन हेतु अनुज्ञापन- एन0डी0टी0।
3. नारकोटिक्स ड्रग्स के रसायनज्ञ हेतु अनुज्ञापन- एन0डी0एल0सी0।
4. पोस्ता डोंडा के लिए थोक व्यापारी का अनुज्ञापन- एन0डी0पी0एस0 -1
5. पोस्ता डोंडा का वैज्ञानिक/औषधीय प्रयोजन हेतु अनुज्ञापन- एन0डी0पी0एस0-2
6. चिकित्सा के आधार पर अफीम को मुख से सेवन करने/कब्जे में रखने एवं परिवहन के लिए अनुज्ञापन- एन0डी0ओ0।

13. पावर अल्कोहल से गैसोहाल बनाने की योजना –

पावर अल्कोहल का गैसोहाल के रूप में व्यापक इस्तेमाल करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001-2002 हेतु पायलट योजना प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के अंतर्गत पेट्रोल में पांच प्रतिशत पावर अल्कोहल का मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संकल्प संबंधी राजपत्र दिनांक 20.09.2006 द्वारा दिनांक 01.11.2006 से 20 राज्यों एवं 4 संघीय राज्यों के समस्त टर्मिनलों/डिपुओं पर पेट्रोल में पावर अल्कोहल मिश्रण किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त के परिप्रेक्ष्य में आबकारी विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में अल्कोहल के मिश्रण हेतु विभिन्न तेल कम्पनियों के 34 डिपुओं को-एफ0एल0-41 अनुज्ञापन स्वीकृत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

क्र०सं०	कम्पनी का नाम	जनपद का नाम
1.	इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	चन्दौली, आगरा, देवरिया, इलाहाबाद, कानपुर नगर, बिजनौर, गोण्डा, बरेली, लखनऊ, झाँसी, मेरठ, शाहजहाँपुर व मथुरा।
2.	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	चन्दौली, देवरिया, बिजनौर, गोण्डा, बरेली, लखनऊ, झाँसी, मेरठ, कानपुर नगर, शाहजहाँपुर व मथुरा।
3.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०	बिजनौर, गोण्डा, बरेली, लखनऊ, झाँसी, मथुरा, मेरठ, देवरिया व चन्दौली।
4.	रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लि०	कानपुर देहात।

भारत सरकार द्वारा पेट्रोल में अल्कोहल मिश्रण की योजना के अन्तर्गत 5 प्रतिशत पावर अल्कोहल पेट्रोल में मिश्रित किया जा रहा था। अब भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पत्र दिनांकित 29.10.2008 द्वारा इस कार्य योजना के अन्तर्गत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पेट्रोल में 5 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत पावर अल्कोहल मिश्रित किये जाने हेतु प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली से एवं कर्नाटक राज्य के जनपद देसूर से प्रारम्भ किया जा रहा है, जिसके क्रम में जनपद बरेली में मेसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि० बरेली एवं मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन बरेली को 5 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत इथनॉल को पेट्रोल में मिलाये जाने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश में मेसर्स स्प्योहारा आसवनी बिजनौर, बलरामपुर आसवनी बलरामपुर, दौराला आसवनी दौराला मेरठ, धामपुर शुगर मिल्स (आसवनी) बिजनौर, सराया आसवनी सरदारनगर गोरखपुर, बलरामपुर आसवनी (बभनान) गोण्डा, रामपुर आसवनी रामपुर, मोहित पेट्रो केमिकल बिजनौर, द्वारिकेश शुगर मिल (आसवनी इकाई) बिजनौर, सिम्भावली आसवनी चिलवरिया बहराइच, सिम्भावली आसवनी गाजियाबाद, मनकापुर चीनी मिल्स लि० (आसवनी) मनकापुर गोण्डा, नगलामल शुगर काम्पलेक्स (आसवनी) मवाना मेरठ, बजाज हिन्दुस्तान लि. रूधौली बस्ती, जैन डिस्टलरी बिजनौर, डी०एस०एम० असमौली मुरादाबाद, सिम्भावली शुगर्स बृजनाथपुर गाजियाबाद, बजाज हिन्दुस्तान गोला आसवनी खीरी, अवध शुगर मिल्स हरगाँव सीतापुर, पिलखनी आसवनी सहारनपुर, शामली आसवनी मुजफ्फरनगर, बजाज हिन्दुस्तान लि० पलियाकला खीरी, सुपीरियर इण्डस्ट्रीज बरेली, किसान सहकारी चीनी मिल सम्पूर्णनगर खीरी, शाकुम्भरी शुगर मिल (आसवनी इकाई) सहारनपुर, के०एम०शुगर मिल आसवनी फैजाबाद, बजाज हिन्दुस्तान लि० गांगनौली सहारनपुर, बजाज हिन्दुस्तान लि० खम्भारखेडा खीरी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग प्रा० लि० मुजफ्फरनगर, डालमियाँ चीनी मिल (आसवनी) सीतापुर, सक्सेरिया शुगर मिल बिसवाँ सीतापुर एवं मेसर्स वेव डिस्टलरी एण्ड बिजरीज लि० अलीगढ़ को पावर अल्कोहल के उत्पादन की अनुमति प्रदान की जा चुकी है। इस प्रकार प्रदेश में पावर अल्कोहल/ अल्कोहल अल्कोहल की कुल उत्पादन क्षमता 6988.0 लाख लीटर हो गयी है।

14. आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश की प्रयोगशालायें

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग में कुल 4 प्रयोगशालायें कार्यरत हैं। वर्तमान में प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में गोरखपुर, मध्य क्षेत्र में लखनऊ तथा पश्चिमी क्षेत्र मेरठ में एक-एक क्षेत्रीय प्रयोगशालायें कार्यरत हैं। इन प्रयोगशालाओं में कार्यो के समन्वय, अनुश्रवण व नियंत्रण हेतु आबकारी मुख्यालय इलाहाबाद में एक केन्द्रीय प्रयोगशाला कार्यरत है।

क्षेत्रीय आबकारी प्रयोगशालाओं में आसवनियों, यवासवनियों, चीनी मिलों, मदिरा के अनुज्ञापित दुकानों, अल्कोहल पर आधारित उद्योगों आदि से संबंधित पदार्थों के नमूनों का परीक्षण करके उनकी गुणवत्ता पर समुचित नियंत्रण रखा जाता है। आसवनियों द्वारा उत्पादित शोधित सुरासव, देशी मदिरा, विदेशी मदिरा आदि का श्रेणीकरण एवं विस्तृत

रासायनिक परीक्षण करके मानव उपभोग हेतु उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र देने का कार्य प्रयोगशालाओं द्वारा सम्पादित किया जाता है। इन्ही प्रयोगशालाओं में आबकारी मैनुअल खण्ड-1 के प्रस्तर 781 व 785 के प्राविधानों के अन्तर्गत आसवनियों में प्रयुक्त होने वाले विकारकों एवं विकृत सुरा का परीक्षण किया जाता है। देशी व विदेशी मदिरा में प्रयुक्त होने वाले कैरामल, रंगों व सुगन्धों का परीक्षण भी उत्तर प्रदेश आबकारी मैनुअल खण्ड-1 के प्रस्तर-713 के प्राविधानानुसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रयोगशालाओं में विशुद्ध मद्यसार, मदिरा, शीरा, ताड़ी, एफ0एल0-41 इकाईयों के थिनर आदि के परीक्षण का कार्य भी किया जाता है।

मुख्यालय स्थित केन्द्रीय प्रयोगशाला में, अल्कोहल, भांग व नारकोटिक्स पदार्थयुक्त औषधियों के नमूनों के परीक्षण का कार्य किया जाता है। वर्तमान में इन औषधियों के नमूनों में उपस्थित अल्कोहल की मात्रा का परीक्षण किया जा रहा है और प्रदेश की फार्मसियों में निर्मित औषधियों में मिलाये जाने वाले आवश्यक घटकों के परीक्षण के लिये आवश्यक उपकरणों का क्रय किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों, आसवनियों, फार्मसियों व अन्य औद्योगिक इकाइयों के जील व जर्मन अल्कोहलोमीटर सेट तथा तथा थर्मामीटर के मानकीकरण का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के चारों आबकारी प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण व आधुनिकीकरण एवं उच्च स्तरीय तकनीकी परीक्षण हेतु चार अदद जी.एल. सी. व चार यू.वी. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का क्रय किया गया है। इसे अतिरिक्त केन्द्रीय प्रयोगशाला में एक अदद एच.पी.एल.सी., एक वाटर प्यूरीफिकेशन प्लान्ट, एक टिन्टोमीटर एवं एक उच्चस्तरीय पी. एच. मीटर का क्रय कर लिया गया है। प्रयोगशालाओं में उपकरणों में माध्यम से उच्चस्तरीय परीक्षण कार्य किये जाने हेतु समस्त कार्मिकों के विधिवत प्रशिक्षण कराये जाने के संबंध में कार्यवाही का जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2009-10, वर्ष 2010-11, तथा वर्ष 2011-12 में केन्द्रीय एवं तीनों क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा विश्लेषित नमूनों का विवरण तथ अर्जित राजस्व का विवरण परिशिष्ट-20 पर तथा विगत 3 वर्षों में केन्द्रीय एवं तीनों क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में परीक्षण किये गये नमूने व उससे प्राप्त राजस्व का विवरण परिशिष्ट-21 पर दर्शाया गया है।

विभागीय आय-व्यय का विवरण

(धनराशि लाख रूपयें में)										
अनुदान संख्या-1 आयोजनेत्तर	बजट प्राविधान एवं व्यय का वर्षवार विवरण									
	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
लेखा शीर्षक	बजट प्राविधान	व्यय	बजट प्राविधान	व्यय	बजट प्राविधान	व्यय	बजट प्राविधान	व्यय	बजट प्राविधान	व्यय
2039 राज्य उत्पाद शुल्क										
मतदेय	4858.40	4389.50	5499.78	4979.99	7250.88	7028.90	8596.20	8483.83	11539.01	10032.25
भारित	10.00	3.65	10.00	5.25	10.00	9.95	20.00	19.73	20.00	0.39
2059-लोक निर्माण कार्य	35.00	21.96	35.00	29.07	25.00	24.16	30.00	29.82	30.00	29.55
2216-आवास	20.00	20.00	5.00	1.42	5.00	3.28	5.00	4.96	5.00	5.00
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	35.00	21.98	20.00	8.65	20.00	19.95	0.00	0.00	140.50	58.60
4047-अन्य राज्य कोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1038.00	1034.14	0.00	0.00
सम्पूर्ण योग	4958.40	4457.09	5569.78	5024.38	7310.88	7086.24	9689.20	9572.48	11734.11	10125.79

राजस्व प्राप्तियों का वर्षवार विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

लेखा शीर्षक	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012
0039-राज्य उत्पाद शुल्क					
राजस्व लक्ष्य	4192.00	5040.00	5500.00	6770.00	8625.00
राजस्व प्राप्तियां	3948.31	4720.18	5665.98	6725.53	8139.09

लेखा शीर्षक "0039 राज्य उत्पाद शुल्क" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 में रु. 3948.31 करोड़, वर्ष 2008-09 में रु. 4720.18 करोड़ तथा वर्ष 2009-10 में रु. 5665.98 करोड़, वर्ष 2010-2011 में रु. 6725.53 करोड़ की तथा वर्ष 2011-2012 में रु. 8139.09 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई।

15. आडिट अनुभाग -

आडिट अनुभाग द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित किये गये प्रस्तारों एवं आश्वासन समितियों द्वारा उठाये गये वित्तीय प्रकरणों के सम्बन्ध में जनपदों से प्राप्त सूचनाओं का परीक्षण कर लोक लेखा समिति एवं आश्वासन समिति के लिये शीघ्रताशीघ्र उत्तर भेजने का कार्य किया जाता है। महालेखाकार के संप्रेक्षा प्रतिवेदनों में निहित आपत्तियों की अनुपालन आख्या जनपदों/इकाइयों से प्राप्त कर कार्यालय महालेखाकार को उपलब्ध कराते हुए उनका निस्तारण भी कराया जाता है। विभाग में गठित आंतरिक संप्रेक्षा दलों द्वारा आंतरिक संप्रेक्षा भी की जाती है। वर्ष 2011-12 में वित्तीय वर्ष 2010-2011 की 124 इकाइयों की आंतरिक संप्रेक्षा की गयी।

16. विधिक कार्य -

आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद/ खण्डपीठ लखनऊ, मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ व अन्य अदालतों में दायर सिविल अपीलों/विशेष अनुज्ञा याचिकाओं/रिट याचिकाओं/अपीलों/निदेश याचिकाओं/वादों एवं अन्य मामलों में प्रतिशपथ पत्र/पूरक शपथ पत्र/लिखित विवेचन तथा आपत्ति प्रस्तुत करने के साथ-साथ प्रभावी प्रतिवाद एवं सक्रिय पैरवी की जाती है। विभाग के विरुद्ध तथा विभाग द्वारा विभिन्न न्यायालयों में दायर वादों की पैरवी, प्रतिवाद आदेश/अपील दायर करने की अनुमति/प्राप्त करने, प्रस्तुत आख्या/लिखित बहस तैयार कराने वाले अधिवक्ताओं को तथ्यों से अवगत कराने एवं अन्य न्यायालयीय कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में विधि प्रकोष्ठ गठित है। यह भी अवगत कराना है कि -

- (क) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में पैरवी हेतु एक उप आबकारी आयुक्त (विधि), गाजियाबाद की तैनाती की गयी है, जिसका मुख्यालय गाजियाबाद है। विभाग के विरुद्ध वादों/पैरवी व अन्य विधिक कार्य एडवोकेट ऑन रिकार्ड करते हैं।
- (ख) मा. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ व मा. राज्य लोक सेवा अधिकरण लखनऊ में लम्बित वादों की पैरवी के लिये एक सहायक आबकारी आयुक्त (विधि), दो आबकारी निरीक्षक व तीन अन्य स्टाफ की नियुक्ति की गयी है। विभाग के विरुद्ध दायर वादों में बहस/पैरवी व अन्य विधिक कार्य क्रमशः मुख्य स्थायी अधिवक्ता व प्रस्तुतकर्ता अधिकारी करते हैं। वर्तमान समय में विभाग के विरुद्ध/शासन द्वारा विभिन्न न्यायालयों में दायर वादों की स्थिति/विवरण निम्नलिखित हैं-
 1. माननीय राज्य लोक सेवा अधिकरण लखनऊ में वर्ष 1991 से मार्च 2012 तक 120 निदेश याचिकाएं लम्बित/विचाराधीन हैं।
 2. माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/खण्डपीठ लखनऊ में वर्ष-1991 से मार्च 2012 तक कुल 1243 रिट याचिकाएं विचाराधीन हैं। अधिकांश मामलों में प्रतिशपथ पत्र/आपत्ति आदि दाखिल किया जा चुका है। मात्र 26 मामलों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं हो पाया है। इन सभी वादों में वाँछित प्रतिशपथ पत्र तैयार एवं दाखिल कराने की कार्यवाही की जा रही है।
 3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में वर्ष 1991 से मार्च, 2012 तक कुल 125 विशेष अनुज्ञा याचिकाएं/सिविल अपीलों विचाराधीन हैं। लम्बित वादों के निस्तारण की कार्यवाही हेतु यथावश्यक प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं।

17. विभाग में ई-गवर्नेन्स –


विभाग में ई-गवर्नेन्स के दृष्टिगत कम्प्यूटरीकरण किया गया है। विभाग ने उ.प्र. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से अपनी वेबसाइट विकसित की है जिसका पता www.upexcise.in है जिसे समय-समय पर अद्यावधिक किया जाता है। विभाग के पास भारत संचार निगम की लीड लाइन भी है। विभागीय अधिकारियों के ई-मेल तथा सी0यू0जी0 नम्बर की सूची परिशिष्ट-23 व 24 पर है। कम्प्यूटरीकरण के अग्रेतर चरण हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 में रू0 3.80 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ है। इस अनुदान से उ0 प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 के माध्यम से समस्त जनपदों, प्रभारों एवं जोन कार्यालयों तथा मुख्यालय में कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं, पेय मदिरा आसवनियों एवं मुख्यालय में भी कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये हैं। इसी बजट में विभागीय कार्यकलापों के दैनिक अनुश्रवण के निमित्त "वेब बेस्ड आन लाइन एक्साइज मैनेजमेंट" का एप्लीकेशन साफ्टवेयर विकसित कराया गया है। विभाग के कार्मिकों को कम्प्यूटर के प्रयोग एवं संचालन की ट्रेनिंग भी दिलायी जा रही है।

18. विभाग का सुदृढीकरण –

आबकारी राजस्व में वृद्धि की दर का समुचित स्तर बनाये रखने व प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2010-11 में विभाग के सुदृढीकरण हेतु शासन द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण स्वीकृतियां प्रदान की गयी है:-


1. गोरखपुर को नया जोन बनाया गया।
2. आबकारी विभाग की चेक पोस्टों को समाप्त करते हुए स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स की 47 इकाइयों का गठन।
3. स्ट्राइकिंग फोर्स के लिये 58 वाहन तथा प्रत्येक जनपद हेतु 71 वाहन संविदा पर लिये जाने की स्वीकृति।
4. स्ट्राइकिंग फोर्स हेतु 435 राइफल एवं कारतूस, जनपदों के निरोधक क्षेत्रों हेतु 418 राइफल एवं कारतूस, ई0आई0बी0 के आबकारी सिपाहियों हेतु 48 राइफल एवं कारतूस, कुल 901 राइफल एवं कारतूस की स्वीकृति।
5. निरोधक क्षेत्र/स्ट्राइकिंग फोर्स/ई0आई0बी0 के आबकारी निरीक्षकों हेतु 347 रिवाल्वरों एवं कारतूसों के क्रय की स्वीकृति।
6. संचार व्यवस्था हेतु 1500 सी0यू0जी0 सेलुलर फोन एवं 101 लैण्ड लाइन टेलीफोन की स्वीकृति।
7. विभाग की प्रयोगशालाओं में रसायनों के परीक्षण एवं उपकरण/मशीन (जी0एल0सी0) 04 अदद एवं यू0वी0-वी0आई0एस0(स्पेक्ट्रोमीटर) 04 अदद के क्रय की स्वीकृति।
8. आबकारी मुख्यालय के लिये 01 साइलेंट डी0जी0 सेट (100 के0वी0ए0) एवं क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु 93 साइलेंट डी0जी0 सेट (7.5 के0वी0ए0) के क्रय की स्वीकृति।
9. विभाग के सशक्तीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु मानव संसाधन हेतु संयुक्त आबकारी आयुक्त का 01 पद, उप आबकारी आयुक्त का 01, सहायक आबकारी आयुक्त के 35, आबकारी निरीक्षक के 220, उप आबकारी निरीक्षक के 90, प्रधान आबकारी सिपाही के 244, आबकारी सिपाही के 643, वरिष्ठ लिपिक का 01, कनिष्ठ लिपिक के 100, आशुलिपिक ग्रेड-3 के 02 वाहन चालक के 02 एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के 73 पद स्वीकृत किये गये हैं।
10. आबकारी विभाग में आन लाइन एक्साइज मैनेजमेंट सिस्टम हेतु एक हार्डवेयर इंजीनियर, एक साफ्टवेयर इंजीनियर/सर्वर मैनेजर तथा 180 कम्प्यूटर आपरेटर की सेवायें संविदा पर लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

परिशिष्ट-1
विभाग की प्रशासनिक संरचना




परिशिष्ट-2

उत्तर प्रदेश आबकारी मुख्यालय की कार्यकारी संरचना



परिशिष्ट - 3

क्षेत्रीय स्तर पर आबकारी प्रशासन



परिशिष्ट – 4

विभाग में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण – दिनांक 31.03.2012

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड पे	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पद	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	आबकारी आयुक्त, (आई०ए०एस)	सुपर टाईम स्केल		1	1	—
2	अपर आबकारी आयुक्त, (प्रशासन) पी०सी०एस०	सुपर टाईम स्केल		1	1	—
3	वित्त नियंत्रक	37400—67000	8900	1	1	—
4	विधि सलाहकार	37400—67000	8900	1	1	—
5	अपर आबकारी आयुक्त (लाईसेंसिंग एवं आद्योगिक विकास)	37400—67000	8700	1	1	—
6	संयुक्त आबकारी आयुक्त	15600—39100	7600	8	1	7
7	वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी	15600—39100	6600	1	1	—
8	वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी	15600—39100	6600	1	1	—
9	वरिष्ठ प्राविधिक अधिकारी	15600—39100	6600	1	1	—
10	उप आबकारी आयुक्त	15600—39100	6600	31	16	15
11	वित्त एवं लेखाधिकारी	15600—39100	5400	1	—	1
12	सहायक आबकारी आयुक्त	15600—39100	5400	192	174	18
13	प्राविधिक अधिकारी	15600—39100	5400	2	2	—
14	सहायक अल्कोहल टैक्नोलोजिस्ट	15600—39100	5400	5	4	1
15	सहायक लेखाधिकारी	9300—34800	4800	2	1	1

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड पे	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पद	रिक्त पदों की संख्या
16	वैयक्तिक सहायक	9300-34800	4600	1	1	—
17	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300-34800	4600	1	—	1
18	प्रशासनिक अधिकारी	9300-34800	4200	3	—	3
19	कार्यालय अधीक्षक	9300-34800	4200	6	—	6
20	ज्येष्ठ प्राविधिक सहायक	9300-34800	4200	5	5	—
21	लेखाकार	9300-34800	4200	5	5	—
22	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	9300-34800	4200	6	2	4
23	संख्या सहायक	9300-34800	4200	1	1	—
24	आशुलिपिक ग्रेड-2	9300-34800	4200	2	1	1
25	आबकारी निरीक्षक	9300-34800	4600	759	312	447
26	वरिष्ठ सहायक	5200-20200	2800	14	5	9
27	प्राविधिक सहायक	5200-20200	2800	8	—	8
28	लाइब्रेरियन	5200-20200	2800	1	1	—
29	वरिष्ठ लिपिक	5200-20200	2400	46	38	8
30	आशुलिपिक ग्रेड-3	5200-20200	2400	31	30	1
31	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	5200-20200	2800	6	4	2
32	सहायक लेखाकार	5200-20200	2800	9	5	4
33	कनिष्ठ लिपिक	5200-20200	1900	373	347	26
34	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड - 1	5200-20200	2400	1	1	—
35	कनिष्ठ कम्प्यूटर लिपिक	5200-20200	1900	2	3	+1

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड पे	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पद	रिक्त पदों की संख्या
36	उप आबकारी निरीक्षक	5200-20200	2400	158	43	115
37	ताड़ी पर्यवेक्षक	5200-20200	2000	19	12	7
38	वाहन चालक	5200-20200	1900	159	149	10
39	प्रधान आबकारी सिपाही	5200-20200	2000	801	698	103
40	आबकारी सिपाही	5200-20200	1900	2141	1861	280
41	विद्युतकार	5200-20200	1900	2	2	—
42	दफ्तरी	5200-20200	1800	2	2	—
43	जमादार	5200-20200	1800	1	1	—
44	मुख्य रसोइया	5200-20200	1800	1	1	—
45	चतुर्थ श्रेणी के अन्य	5200-20200	1800	170	178	+8 मृतक आश्रित की नियुक्ति के कारण अधिसंख्य

परिशिष्ट - 5

(चीनी मिलवार शीरे की उपलब्ध संचय क्षमता का विवरण)

क्र० सं०	चीनी मिल का नाम	उपलब्ध संचय क्षमता (लाख कुण्टल में)	क्र० सं०	चीनी मिल का नाम	उपलब्ध संचय क्षमता (लाख कुण्टल में)
1.	मवाना	4.10	39.	बरेली	0.21
2.	दौराला	2.15	40.	सेमी खेड़ा	1.36
3.	रमाला	1.35	41.	बहेड़ी	1.99
4.	बागपत	1.20	42.	रोजा	1.47
5.	सकोती	1.14	43.	तिलहर	0.90
6.	महिद्दीनपुर	0.90	44.	पुवायां	0.90
7.	मलियाना	0.22	45.	मझोला	1.00
8.	शामली	2.29	46.	बीसलपुर	1.38
9.	रोहनाकला	0.79	47.	पीलीभीत	1.27
10.	मोरना	1.35	48.	पूरनपुर	0.90
11.	खतौली	3.48	49.	बदायूं	1.16
12.	मंसूरपुर	1.00	50.	मीरगंज	1.50
13.	तितावी	2.48	51.	न्युली	0.25
14.	बुलन्दशहर	0.90	52.	छाता	1.44
15.	अनूपशहर	1.38	53.	साथा	0.46
16.	अनामिका	0.54	54.	घाटमपुर	0.38
17.	मोदी	0.90	55.	कायमगंज	0.45
18.	सिम्भावली	2.00	56.	गोला	3.91
19.	सहारनपुर	1.20	57.	पलिया	2.05
20.	ननौता	1.81	58.	ऐरा	2.58
21.	सरसौवा	1.79	59.	बेलरायां	3.38
22.	देवबन्द	3.05	60.	सम्पूर्णानगर	1.80
23.	शाकुम्बरी	1.23	61.	महमूदाबाद	1.57
24.	कस्तूरी	0.64	62.	बिसवां	2.49
25.	अजुधिया	0.37	63.	हरगांव	1.98
26.	हंसनपुर	0.90	64.	महोली	0.52
27.	अमरोहा	1.20	65.	दरियापुर	0.47
28.	धनौरा	0.80	66.	हरदोई	0.73
29.	मझावली	0.84	67.	रामगढ़	1.80
30.	असमौली	1.10	68.	किटप्लाई	1.00
31.	रामपुर	1.11	69.	नवाबगंज	0.19
32.	बिलासपुर	1.27	70.	तुलसीपुर	1.29
33.	बिजनौर	1.33	71.	बलरामपुर	3.00
34.	चौदपुर	1.60	72.	बभनान	2.82
35.	स्योहारा	1.73	73.	नानपारा	0.90
36.	धामपुर	0.97	74.	जरवल रोड	1.20
37.	नजीबाबाद	1.80	75.	सुल्तानपुर	0.65
38.	बुन्दकी	1.60	76.	बाराबंकी	0.75

77.	बुढवल	0.27	119.	दया	0.40
78.	रोजागांव	1.20	120.	हैदरगढ़	1.20
79.	मसौधा	1.20	121.	किनौनी	3.0
80.	नन्दगंज	0.44	122.	भैसाना (बुढाना)	3.70
81.	औराई	0.50	123.	थाना भवन	4.10
82.	रसड़ा	0.45	124.	बिलाई	3.75
83.	शाहगंज	0.12	125.	आनन्द एग्रीकेम	0.45
84.	सटियांव	0.45	126.	उत्तम (बरकतपुर)	1.40
85.	घोसी	0.40	127.	द्वारिकेशपुरम	1.04
86.	पिपराइच	0.20	128.	नंगलामल	2.40
87.	सरैया	0.91	129.	अम्बेडकरनगर	2.46
88.	घुघली	0.34	130.	पारलेजी	1.83
89.	सिसवा बाजार	1.20	131.	साबितगढ़	11.78
90.	आनन्द नगर	0.12	132.	खम्भारखेड़ा	4.00
91.	छिलौनी	0.28	133.	गागनौली	3.60
92.	सेवरही	1.10	134.	बारखेड़ा	2.88
93.	लक्ष्मीगंज	0.40	135.	मनकापुर	2.40
94.	रामकोला (पी)	0.90	136.	लोनी	3.50
95.	रामकोला (के)	0.42	137.	हरियांव	3.50
96.	कटकड़ियां	0.58	138.	चन्दनपुर	1.11
97.	कप्तानगंज	1.20	139.	खाईखेड़ी	0.54
98.	पड़रौना	1.26	140.	रजपुरा	2.00
99.	खड्डा	0.83	141.	डालमियां (जवाहरपुर)	1.84
100.	प्रतापपुर	0.92	142.	बृजनाथपुर	0.60
101.	देवरिया	0.20	143.	रानीनागल	1.20
102.	गौरीबाजार	0.39	144.	शेरमऊ	0.60
103.	भटनी	0.19	145.	नरायनपुर	1.20
104.	बैतालपुर	0.27	146.	कुम्भी	2.40
105.	बस्ती	1.09	147.	निगोही	1.85
106.	मुण्डेरवा	0.26	148.	बेलवारा	2.70
107.	बाल्टरगंज	0.30	149.	गुलरिया	2.58
108.	खलीलाबाद	0.15	150.	कुन्दुरखी	3.00
109.	मैजापुर	0.74	151.	द्वारिकेशधाम	2.04
110.	चिलवरिया	1.00	152.	मकसूदापुर	2.91
111.	ओसवाल	0.99	153.	रूदौली	2.40
112.	धुरियापार	0.50	154.	उतरौला	2.40
113.	घाघरा	0.99	155.	करीमगंज	1.05
114.	मलकपुर	1.00	156.	न्यू इण्डिया	1.07
115.	टिकौला	0.63	157.	बघौली	1.40
116.	गड़ौरा	1.40	158.	यदु	1.07
117.	कमलापुर	0.40			
118.	दीवान	0.40			
				योग –	227.95

परिशिष्ट - 6

गत पाँच वर्षों में शीरे के उत्पादन, उठान तथा अवशेष का विवरण (लाख कुन्टल में)

शीरा वर्ष	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012 (31.03.2012 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1. प्रारम्भिक अवशेष	12.07	35.43	14.99	25.41	28.92	45.69
2. उत्पादन	468.62	374.15	225.90	291.42	328.26	365.84
3. कुल उपलब्धता	480.69	409.58	240.89	316.83	357.18	411.53
4. खपत						
(क) आसवनियों द्वारा	383.69	362.18	212.88	276.41	292.74	214.76
(ख) औद्योगिक इकाई	34.38	25.35	—	—	11.09	2.95
(ग) प्रदेश के बाहर (उत्तराखण्ड सहित)	24.75	2.54	1.63	10.02	5.62	0.84
(घ) छीजन	1.23	3.04	0.96	1.34	1.70	0.31
योग	444.05	393.11	215.47	287.77	311.15	218.86
5. अवशेष	36.64	16.47	25.42	29.06	46.03	192.67
6. बिलोग्रेड	1.21	1.48	0.01	0.14	0.34	—
7. अवशेष ग्रेडेड	35.43	14.99	25.41	28.92	45.69	192.67

परिशिष्ट - 7

आबकारी अधिनियम की धारा 17, 18 के अन्तर्गत प्रदेश में शीरे पर आधारित 61 आसवनियों को लाइसेंस दिया गया है, जिनकी अधिष्ठापित क्षमता 15228.20 लाख लीटर है। आसवनियों में गत 5 अल्कोहल वर्षों का उत्पादन (मिलियन लीटर में) निम्नानुसार है -

क्र०सं०	आसवनी का नाम	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1.	नेशनल इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि०, मुरादाबाद	7.154	10.061	2.114	0.000	5.909
2.	दौराला आसवनी, मेरठ	20.093	21.052	12.877	17.460	15.346
3.	हरगांव आसवनी, सीतापुर	13.078	16.105	11.654	19.001	23.572
4.	रामपुर आसवनी, रामपुर	64.167	65.054	43.123	53.754	57.556
5.	शामली आसवनी, मुजफ्फरनगर	6.873	7.197	5.739	6.893	7.353
6.	कप्तानगंज आसवनी, कुशीनगर	1.301	5.349	00	000	000
7.	सराया आसवनी, गोरखपुर	36.438	33.001	16.052	16.382	18.777
8.	केसर इण्टरप्राइजेज लि०, बरेली	16.689	15.005	7.921	8.646	12.964
9.	मोहन मीकिन आसवनी, लखनऊ	1.817	0.230	0.006	0.000	000
10.	को-आपरेटिव कं० लि०, सहारनपुर	0.637	1.600	1.028	0.309	0.606
11.	यूनाइटेड स्प्रिट्स लिमिटेड, यूनिट-मेरठ, मेरठ कैन्ट, मेरठ	0	0	00	000	000
12.	गोला आसवनी खीरी	25.057	18.834	9.464	13.891	20.460
13.	पिलखनी आसवनी, सहारनपुर	6.056	0.735	3.934	4.586	1.822
14.	स्यौहारा आसवनी, बिजनौर	20.651	22.070	8.486	16.443	22.789
15.	सिम्भौली आसवनी, गाजियाबाद	29.136	20.022	19.138	27.627	24.878
16.	नारंग आसवनी, गोण्डा	3.942	3.216	0.687	0.000	000
17.	मंसूरपुर आसवनी, मंसूरपुर, मुजफ्फरनगर	15.390	17.969	14.064	15.272	15.344
18.	मोदी आसवनी, गाजियाबाद	4.544	4.108	1.465	4.012	3.414
19.	उन्नाव डिस्टिलरी, उन्नाव	4.300	8.431	9.255	4.421	5.056
20.	मोहन मीकिन आसवनी, गाजियाबाद	0.242	0.021	0.019	0.008	0.020
21.	यूनाइटेड स्प्रिट्स लिमिटेड, रोजा, रोजा, शाहजहाँपुर	4.232	2.649	4.023	9.718	9.748
22.	लार्डस आसवनी, गाजीपुर	9.608	7.556	5.669	4.128	4.137
23.	जुबिलेण्ट आर्गनोसिस, ज्योतिबाफुलेनगर	96.882	60.517	88.151	32.778	27.467

24.	मझोला आसवनी, पीलीभीत	6.088	4.559	1.613	0.699	00
25.	ननौता आसवनी, सहारनपुर	4.488	4.071	2.377	1.418	3.440
26.	अनूपशहर आसवनी, बुलन्दशहर	3.103	3.586	1.660	0.618	2.121
27.	नानपारा आसवनी, बहराइच	5.106	3.988	1.844	1.120	2.493
28.	कायमगंज आसवनी, फर्रुखाबाद	3.670	3.338	1.131	0.000	1.193
29.	सुपीरियर इण्डस्ट्रीज लि0, बरेली	7.291	6.063	1.497	1.911	3.207
30.	धामपुर आसवनी, बिजनौर	46.329	35.002	14.439	27.351	23.274
31.	सम्पूर्णनगर आसवनी, खीरी	6.449	4.275	2.717	1.020	4.069
32.	सिन्थेटिक आसवनी, बरेली	0	0	0	0000	0000
33.	घोषी आसवनी, मऊ	5.792	4.506	0.621	1.598	2.074
34.	विजयश्री आसवनी, मथुरा	0	0	0	0000	0000
35.	बलरामपुर आसवनी, बलरामपुर	46.712	45.664	19.962	13.220	21.128
36.	के0एम0 शुगर मिल्स लि0, फैजाबाद	12.117	8.019	3.535	5.970	5.409
37.	ओसवाल केमि0 एण्ड फर्टिलाजर्स, शाहजहाँपुर	0	0	0	000	000
38.	नीवी स्टील्स लि0, मऊ	2.187	1.832	1.142	2.050	0.768
39.	टिकौला आसवनी, मुजफ्फरनगर	6.226	8.075	4.977	6.529	7.124
40.	बलरामपुर चीनी मिल्स लि0, यूनिट-बभनान, गोण्डा	16.459	18.471	13.169	12.954	14.299
41.	पलिया आसवनी, खीरी	19.240	12.420	13.941	13.846	16.707
42.	मोहित पेट्रो केमिकल्स लि0, बिजनौर	10.237	10.286	10.336	14.318	9.732
43.	शाकुम्भरी आसवनी, सहारनपुर	9.642	10.770	2.178	9.345	7.595
44.	द्वारिकेश शुगर इण्डस्ट्रीज लि0, बिजनौर	7.221	5.768	3.209	4.486	4.088
45.	किनौनी आसवनी, मेरठ	47.363	24.180	12.692	38.536	17.132
46.	गाजियाबाद आर्गेनिक्स, गाजियाबाद	14.009	8.263	0.167	1.586	0.095
47.	आई0जी0एल0, गोरखपुर	69.330	55.802	10.808	29.296	44.411

48.	चिलवरिया आसवनी, बहराइच	12.416	10.077	4.900	6.948	10.531
49.	गांगनौली आसवनी, सहारनपुर	25.955	38.758	12.007	15.659	18.004
50.	खम्भारखेड़ा आसवनी, खीरी	15.952	24.411	3.930	21.367	17.736
51.	त्रिवेणी इंजीनियरिंग, मुजफ्फरनगर	18.626	33.302	27.980	23.420	33.706
52.	मनकापुर आसवनी, गोण्डा	6.594	24.012	8.700	13.108	22.174
53.	डालमिया आसवनी, सीतापुर	1.903	11.469	5.741	2.905	3.746
54.	रुदौली आसवनी, बस्ती	1.977	24.818	21.222	20.959	19.261
55.	नगलामल आसवनी, मेरठ	0.880	15.975	12.058	10.693	15.742
56.	बिसवां आसवनी, सीतापुर	0.810	6.700	2.694	4.770	7.335
57.	जैन डिस्टिलरी, बिजनौर	0	9.897	10.451	13.471	9.323
58.	असमौली डिस्टिलरी, मुरादाबाद	0	4.916	4.121	9.132	6.557
59.	रेडिको खेतान लि0 (यूनिट ग्रेन स्प्रेट प्लान्ट), रामपुर	0	9.405	2.181	3.770	0
60.	बृजनाथपुर (सिम्भावली), गाजियाबाद	0	0	1.759	16.165	14.570
61.	यू0 वायो केमिकल्स	0	0	8.955	26.502	23.418
	योग	822.459	833.460	515.583	632.069	669.680

परिशिष्ट – 8
प्रदेश में कार्यरत एल0-1 फार्मसियों का विवरण

क्रमांक	इकाई का नाम	जनपद का नाम	वार्षिक कोटा (ए.एल. में)
1.	नार्दन इण्डिया केमिकल्स	मेरठ	72000
2.	जी0 प्राक्शन एण्ड कं0 लि0	लखनऊ	87875.80
3.	सेलेक्स केमिकल्स प्रा.लि.	लखनऊ	76920
4.	इण्डियन केमिकल्स प्रा.लि.	लखनऊ	15000
5.	आरपाइक प्रा.लि.	लखनऊ	50263
6.	यू.पी.ड्रग हाउस प्रा.लि.	लखनऊ	80000
7.	रूप केमिकल्स प्रा.लि.,	लखनऊ	70000
8.	डाबर इण्डिया लि0	गाजियाबाद	0
9.	एस.बी.एल.प्रा.लि0,	गाजियाबाद	96000
10.	वार्डेक्स फार्मास्युटिकल्स,	गाजियाबाद	70000
11.	जिश्नू फार्मास्युटिकल्स, प्रा0 लि0,	गाजियाबाद	36000
12.	आर.एस.भार्गव फार्मसी,	बुलन्दशहर	96000
13.	बी.एस.दत्ता मैनुफैक्चर्स,	आगरा	72000
14.	कोटिया ड्रग हाउस,	आगरा	60000
15.	विजय कैमिकल्स प्रा.लि.	अलीगढ़	90000
16.	श्री दुर्गे केमिकल्स,	अलीगढ़	70000
17.	कर्ण प्रकाश, लेबोरेट्रीज, हाथरस,	महामायानगर	99000
18.	आईडियल केमिकल्स,	कानपुर नगर	30000
19.	डॉ0 विलमर श्वाबे (इण्डिया), नोयडा	गौतमबुद्धनगर	200000
20.	एल्कोम प्रा0लि0,	गौतमबुद्ध नगर	1950000
21.	मोदी रेवलॉन, मोदीनगर	गाजियाबाद	396000
22.	एम0डी0 होम्यो लैब प्रा0लि0,	गाजीपुर	50000
	योग		3767058.8

परिशिष्ट - 9
(प्रदेश में कार्यरत पार्टटाइम एल0-1 इकाइयों का विवरण)

क्रमांक	फार्मसी का नाम	जनपद का नाम	वार्षिक अल्कोहल कोटा (ए0एल0 में)
1.	वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, लि., इलाहाबाद	इलाहाबाद	3600
2.	मिश्रा आयुर्वेदिक फार्मसी, इलाहाबाद	इलाहाबाद	0
3.	सारस्वत फार्मा., ट्रान्सपोर्टनगर, इलाहाबाद	इलाहाबाद	0
4.	ओम फार्मा, फतेहपुर	फतेहपुर	0
5.	अरोरा यूनानी फार्मसी, कानपुर	कानपुर	0
6.	आइडियल केमिकल, कानपुर	कानपुर	0
7.	नित फार्मा., कानपुर	कानपुर	0
8.	हिन्द केमिकल, कानपुर	कानपुर	0
9.	आर.डी. आयुर्वेदिक फार्मसी, औरैया	औरैया	0
10.	दवाखाना तिब्बिया कालेज, अलीगढ़	अलीगढ़	0
11.	आशा फार्मसी, मथुरा	मथुरा	0
12.	गुप्ता फार्मास्यूटिकल्स	इलाहाबाद	0
13.	रजत फार्मा, झांसी	इलाहाबाद	0
14.	वैद्यनाथ फार्मसी, झांसी	झांसी	0
15.	बडौरिया फार्मा. टरननगज, कालपी, जालौन	जालौन	0
16.	मोदी मुण्डो फार्मा. लि0, मेरठ	मेरठ	0
17.	हमदद वक्फ, गाजियाबाद	गाजियाबाद	0
18.	जनरल फार्मा0 एण्ड केमिकल्स वक्फ, लखनऊ	लखनऊ	9972
19.	बी0एल0 फार्मा	सीतापुर	0
20.	भारत फार्मास्यूटिकल्स, लखनऊ	लखनऊ	7682
21.	त्रिकाल आयुर्वेदिक केमिकल लैब, लखनऊ	लखनऊ	0
22.	ए0एन0 फार्मास्यूटिकल्स, रायबरेली	रायबरेली	0
23.	ओम आयुर्वेदिक कम्पनी, टडियावा, हरदोई	हरदोई	0
24.	बाम्बे ड्रग इण्डस्ट्रीज, बलिया	बलिया	0
25.	अंजनी फार्मा,	रमा बाई नगर	0
26.	भारद्वाज आयुर्वेदिक केमिकल लैब, बरेली	बरेली	0
27.	सतगुरु साई फार्मसी, चन्दौली	चन्दौली	0
28.	शिव शक्ति इण्टर प्राइजेज	बदायूं	0
29.	ए0आर0 आयुर्वेदिक लैब, लखनऊ	लखनऊ	0
30.	पी0एन0 फार्मा, सीतापुर	सीतापुर	0
31.	गंगा हबेल, बेथर, उन्नाव	उन्नाव	0
32.	सन इण्डिया फार्मा	जालौन	0
33.	गुप्ता फार्मा, कानपुर देहात	कानपुर	0
34.	सत्यम फार्मा, कानपुर नगर	कानपुर	0
35.	रैक्स (यू0 एण्ड ए0) रेमेडीज प्रा0 लि0	गौतमबुद्ध नगर	0
36.	अम्बा आयुर्वेदिक फार्मसी,	उन्नाव	0
37.	शर्मा आयुर्वेद मन्दिर	झांसी	0
38.	राज योग फार्मा, मलवां	फतेहपुर	0
39.	अमर फार्मा, हड़हा	उन्नाव	0
40.	हर्ष फार्मास्यूटिकल्स	रमा बाई नगर	0
41.	राम शिव	उन्नाव	0
	योग		21254

परिशिष्ट-10
वर्ष 2012-13 हेतु प्रदेश के विभिन्न जनपदों की फुटकर दुकानों के लिये जनपदवार
निर्धारित भाग की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा

क्रमांक	जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु निर्धारित भाग की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (कि०ग्रा०में)	क्रमांक	जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु निर्धारित भाग की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (कि०ग्रा०में)
1	2	3	4	5	6
1	वाराणसी	41540	39	बुलन्दशहर	4060
2	चन्दौली	6114	40	गाजियाबाद	3660
3	गाजीपुर	4520	41	पंचशील नगर(हापुड़)	0
4	जौनपुर	5980	42	गौतमबुद्धनगर	1000
5	इलाहाबाद	22063	43	मुरादाबाद	2016
6	कौशांबी	6200	44	भीमनगर (चन्दौसी)	1650
7	फतेहपुर	15600	45	ज्योतिबा फुले नगर	388
8	प्रतापगढ़	4285	46	रामपुर	0
9	मिर्जापुर	13500	47	बिजनौर	1110
10	सोनभद्र	15210	48	सहारनपुर	1740
11	सन्त रविदास नगर	4800	49	मुजफ्फरनगर	1450
12	आजमगढ़	2540	50	प्रबुद्धनगर (शामली)	610
13	बलिया	1200	51	बरेली	4760
14	मऊ	1325	52	बदायूं	1050
15	गोरखपुर	4300	53	पीलीभीत	2340
16	देवरिया	322	54	शाहजहांपुर	4500
17	महाराजगंज	460	55	आगरा	28430
18	कुशीनगर	278	56	फिरोजाबाद	5150
19	बरसी	930	57	मथुरा	43536
20	सिद्धार्थनगर	354	58	मैनपुरी	2340
21	सन्त कबीर नगर	183	59	अलीगढ़	5731
22	लखनऊ	13500	60	महामायानगर	5750
23	हरदोई	13690	61	एटा	1736
24	खीरी	7880	62	काशीरामनगर	2160
25	रायबरेली	23466	63	कानपुर नगर	46000
26	सीतापुर	10500	64	रमाबाईनगर	3216
27	उन्नाव	16240	65	इटावा	3150
28	फैजाबाद	3288	66	औरैया	3251
29	सुलतानपुर	1840	67	फरुखाबाद	2832
30	बाराबंकी	1400	68	कन्नौज	1590
31	अम्बेडकरनगर	1572	69	झांसी	11200
32	छत्रप्रति शाहूजी महाराजनगर	2547	70	जालौन	3300
33	गोण्डा	3384	71	ललितपुर	2760
34	बहराइच	1330	72	बांदा	4400
35	बलरामपुर	656	73	चित्रकूट	1800
36	श्रावस्ती	360	74	हमीरपुर	4300
37	मेरठ	5170	75	महोबा	2450
38	बागपत	1586	प्रदेश योग		475529

परिशिष्ट-11

वर्ष 2012-13 में प्रदेश में स्वीकृत देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग एवं माडल शाप की दुकानों का विवरण (व्यवस्थापन परिणाम दिनांक 04-05-2012 तक की स्थिति के अनुसार)

क्र० सं०	जनपद का नाम	देशी शराब	विदेशी मदिरा	बीयर	भांग	माडलशाप
1	2	3	4	5	6	7
1	वाराणसी	278	147	122	79	9
2	चन्दौली	99	57	30	42	4
3	गाजीपुर	193	63	54	68	3
4	जौनपुर	269	89	69	82	1
	वाराणसी प्रभार	839	356	275	271	17
5	इलाहाबाद	386	146	125	147	12
6	कौशाम्बी	60	41	18	34	0
7	फतेहपुर	268	61	45	62	1
8	प्रतापगढ़	221	60	44	107	1
	इलाहाबाद प्रभार	935	308	232	350	14
9	मिर्जापुर	179	60	45	69	0
10	सोनभद्र	126	56	45	34	1
11	सन्त रविदास नगर	125	36	31	28	0
	मिर्जापुर प्रभार	430	152	121	131	2
	वाराणसी जोन	2204	816	628	752	32
12	आजमगढ़	287	96	83	41	1
13	बलिया	116	43	41	35	2
14	मऊ	145	50	48	23	3
	आजमगढ़ प्रभार	548	189	172	99	6
15	गोरखपुर	250	78	71	43	10
16	देवरिया	148	60	53	20	5
17	महराजगंज	152	36	27	17	2
18	कुशीनगर	188	45	35	19	5
	गोरखपुर प्रभार	738	219	186	99	22
19	बस्ती	183	54	48	26	2
20	सिद्धार्थनगर	142	49	38	6	3
21	सन्त कबीर नगर	105	40	35	9	1
	बस्ती प्रभार	430	143	121	41	6
	गोरखपुर जोन	1716	551	479	239	34
22	लखनऊ	411	171	157	44	51
23	हरदोई	356	78	42	64	0
24	खीरी	252	83	52	18	2
25	रायबरेली	231	81	36	136	7
26	सीतापुर	329	70	38	33	4
27	उन्नाव	314	73	59	82	7
	लखनऊ प्रभार	1893	556	384	377	71

28	फैजाबाद	203	71	42	42	2
29	सुलतानपुर	131	57	34	45	1
30	बाराबंकी	225	69	47	53	6
31	अम्बेडकरनगर	155	31	26	22	4
32	छ0शाहूजी महाराजनगर	157	34	21	38	1
	फैजाबाद प्रभार	871	262	170	200	14
33	गोण्डा	165	75	44	35	4
34	बहराइच	187	55	47	14	1
35	बलरामपुर	128	29	20	12	0
36	श्रावस्ती	59	22	18	7	0
	देवीपाटन प्रभार	539	181	129	68	5
	लखनऊ जोन	3303	999	683	645	90
37	मेरठ	159	102	91	11	14
38	बागपत	92	38	34	3	1
39	बुलन्दशहर	194	87	89	15	7
40	गाजियाबाद	191	84	63	8	50
41	पंचशीलनगर (हापुड़)	104	41	24	0	9
42	गौतमबुद्धनगर	165	92	107	1	23
	मेरठ प्रभार	905	444	408	38	104
43	मुरादाबाद	143	56	52	7	1
44	भीमनगर (चन्दौसी)	123	24	17	9	1
45	ज्योतिबा फुले नगर	106	32	21	3	2
46	रामपुर	135	42	34	0	7
47	बिजनौर	179	85	58	8	5
	मुरादाबाद प्रभार	686	239	182	27	16
48	सहारनपुर	176	83	56	8	3
49	मुजफ्फरनगर	141	60	44	8	7
50	प्रबुद्धनगर (शामली)	62	23	11	6	4
	सहारनपुर प्रभार	379	166	111	22	14
51	बरेली	336	85	62	24	9
52	बदायूं	239	52	32	43	2
53	पीलीभीत	215	33	22	8	1
54	शाहजहांपुर	192	53	38	22	1
	बरेली प्रभार	982	223	154	97	13
	मेरठ जोन	2952	1072	855	184	147
55	आगरा	232	170	173	41	26
56	फिरोजाबाद	245	113	91	28	5
57	मथुरा	195	127	132	50	10
58	मैनपुरी	180	54	40	21	0
	आगरा प्रभार	852	464	436	140	41
59	अलीगढ़	180	95	88	21	10
60	महामायानगर	57	34	28	11	0

61	एटा	154	43	31	14	3
62	काशीरामनगर	107	40	30	12	3
	अलीगढ़ प्रभार	498	212	177	58	16
63	कानपुर नगर	302	156	142	70	8
64	रमाबाईनगर	161	54	39	15	4
65	इटावा	136	49	45	6	0
66	औरैया	71	30	24	19	0
67	फर्रुखाबाद	183	55	36	27	1
68	कन्नौज	142	40	30	20	3
	कानपुर प्रभार	995	384	316	157	16
69	झांसी	221	60	57	22	4
70	जालौन	184	58	39	23	2
71	ललितपुर	79	33	22	10	5
	झांसी प्रभार	484	151	118	55	11
72	बांदा	123	36	24	24	2
73	चित्रकूट	46	28	18	14	0
74	हमीरपुर	145	33	26	20	0
75	महोबा	81	19	12	14	0
	चित्रकूटधाम प्रभार	395	116	80	72	2
	आगरा जोन	3224	1327	1127	482	86
	प्रदेश योग	13399	4765	3772	2302	389

परिशिष्ट-12

वर्ष 2012-13 में देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकानों के व्यवस्थापन का विवरण
(व्यवस्थापन परिणाम दिनांक 04-05-2012 तक की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं०	जनपद का नाम	देशी शराब			विदेशी मदिरा		बीयर	
		व्यवस्थित दुकानों की संख्या	वार्षिक व्यवस्थित एम. जी.क्यू.	वार्षिक व्यवस्थित एम. जी.क्यू. पर निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस	व्यवस्थित दुकानों की संख्या	लाइसेंस फीस	व्यवस्थित दुकानों की संख्या	लाइसेंस फीस
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	वाराणसी	278	7625704	167765488	147	107450400	122	32288300
2	चन्दौली	99	1881953	41402966	57	15891100	30	3883200
3	गाजीपुर	193	3959251	87103522	63	19867900	54	5677000
4	जौनपुर	269	4600250	101205500	89	31578700	69	8676500
	वाराणसी प्रभार	839	18067158	397477476	356	174788100	275	50525000
5	इलाहाबाद	386	5830410	128269020	146	83052400	125	24186200
6	कौशाम्बी	60	340160	7483520	41	7416480	18	1565600
7	फतेहपुर	268	2515464	55340208	61	18538296	45	4815200
8	प्रतापगढ़	221	1755800	38627600	60	14897000	44	3387600
	इलाहाबाद प्रभार	935	10441834	229720348	308	123904176	232	33954600
9	मिर्जापुर	179	1896608	41725376	60	22417500	45	5969200
10	सोनभद्र	126	1153339	25373458	56	20673900	45	9536200
11	सन्त रविदास नगर	125	1271131	27964882	36	9862400	31	3546700
	मिर्जापुर प्रभार	430	4321078	95063716	152	52953800	121	19052100
	वाराणसी जोन	2204	32830070	722261540	816	351646076	628	103531700
12	आजमगढ़	287	5349672	117692784	96	32867700	83	8012000
13	बलिया	116	1700164	37403608	43	22377616	41	3210675
14	मरु	145	2227254	48999588	50	15300600	48	4935000
	आजमगढ़ प्रभार	548	9277090	204095980	189	70545916	172	16157675
15	गोरखपुर	250	4735416	104179152	78	56519700	71	21575500
16	देवरिया	148	3852980	84765560	60	32256000	53	9354400
17	महराजगंज	152	2741780	60319160	36	9825200	27	3377200
18	कुशीनगर	188	3412751	75080522	45	14156400	35	3352500
	गोरखपुर प्रभार	738	14742927	324344394	219	112757300	186	37659600
19	बस्ती	183	2877735	63310170	54	18023500	48	5300900

20	सिद्धार्थनगर	142	1763561	38798342	49	11326840	38	4018000
21	सन्त कबीर नगर	105	1424973	31349406	40	6624090	35	2418870
	बस्ती प्रभार	430	6066269	133457918	143	35974430	121	11737770
	गोरखपुर जोन	1716	30086286	661898292	551	219277646	479	65555045
22	लखनऊ	411	13975074	307451628	171	145092300	157	47943300
23	हरदोई	356	3233330	71133260	78	23812400	42	5280900
24	खीरी	252	1884171	41451762	83	31429400	52	6336400
25	रायबरेली	231	1517570	33386540	81	14624300	36	4205200
26	सीतापुर	329	2985490	65680780	70	19825500	38	4867500
27	उन्नाव	314	3679200	80942400	73	19703600	59	5229700
	लखनऊ प्रभार	1893	27274835	600046370	556	254487500	384	73863000
28	फैजाबाद	203	2205543	48521946	71	23243700	42	6790000
29	सुलतानपुर	131	1591826	35020172	57	16514500	34	4612400
30	बाराबंकी	225	2723600	59919200	69	19770900	47	5474400
31	अम्बेडकरनगर	155	3143280	69152160	31	10477600	26	2248700
32	छ0शाहूजी महराजनगर	157	1117746	24590412	34	9492800	21	2036500
	फैजाबाद प्रभार	871	10781995	237203890	262	79499500	170	21162000
33	गोण्डा	165	1387739	30530258	75	18023800	44	7905300
34	बहराइच	187	1900960	41821120	55	13987610	47	6907710
35	बलरामपुर	128	1407286	30960292	29	8309600	20	3873620
36	श्रावस्ती	59	426320	9379040	22	3909100	18	1338600
	देवीपाटन प्रभार	539	5122305	112690710	181	44230110	129	20025230
	लखनऊ जोन	3303	43179135	949940970	999	378217110	683	115050230
37	मेरठ	159	8119210	178622620	102	142845000	91	30985700
38	बागपत	92	1673950	36826900	38	43476300	34	8515800
39	बुलन्दशहर	194	7453560	163978320	87	83227700	89	17595700
40	गाजियाबाद	191	9375120	206252640	84	123404500	63	26048300
41	पंचशीलनगर (हापुड)	104	2803050	61667100	41	39806500	24	8141900
42	गौतमबुद्धनगर	165	6246280	137418160	92	108456900	107	39512300
	मेरठ प्रभार	905	35671170	784765740	444	541216900	408	130799700
43	मुरादाबाद	143	4818700	106011400	56	63903800	52	10113000
44	भीमनगर (चन्दौसी)	123	2917970	64195340	24	19788500	17	2346100
45	ज्योतिबा फुले नगर	106	2800680	61614960	32	21788400	21	4653800
46	रामपुर	135	2135840	46988480	42	11153300	34	2555800
47	बिजनौर	179	5395750	118706500	85	65041800	58	11018000
	मुरादाबाद प्रभार	686	18068940	397516680	239	181675800	182	30686700
48	सहारनपुर	176	5547406	122042932	83	77705400	56	12823200

49	मुजफ्फरनगर	141	3956470	87042340	60	43754800	44	11765100
50	प्रबुद्धनगर (शामली)	62	1254500	27599000	23	11585200	11	2302000
	सहारनपुर प्रभार	379	10758376	236684272	166	133045400	111	26890300
51	बरेली	336	7214640	158722080	85	57168900	62	11081800
52	बदायूं	239	3826470	84182340	52	25781900	32	2992300
53	पीलीभीत	215	1891460	41612120	33	15101600	22	2248600
54	शाहजहांपुर	192	2888360	63543920	53	35704300	38	4460600
	बरेली प्रभार	982	15820930	348060460	223	133756700	154	20783300
	मेरठ जोन	2952	80319416	1767027152	1072	989694800	855	209160000
55	आगरा	232	9740908	214299976	170	173023300	173	59859500
56	फिरोजाबाद	245	3980767	87576874	113	61264900	91	19079600
57	मथुरा	195	2525802	55567644	127	76241024	132	41800788
58	मैनपुरी	180	2080333	45767326	54	29240400	40	9251500
	आगरा प्रभार	852	18327810	403211820	464	339769624	436	129991388
59	अलीगढ़	180	6124580	134740760	95	91306600	88	29777400
60	महामायानगर	57	2391670	52616740	34	43444096	28	16082010
61	एटा	154	2267210	49878620	43	20734000	31	4831000
62	काशीरामनगर	107	1526310	33578820	40	9041000	30	2610000
	अलीगढ़ प्रभार	498	12309770	270814940	212	164525696	177	53300410
63	कानपुर नगर	302	12993648	285860256	156	206951200	142	50005100
64	रमाबाईनगर	161	2506752	55148544	54	17152100	39	3992200
65	इटावा	136	2447614	53847508	49	21535100	45	5328000
66	औरैया	71	1691380	37210360	30	17187500	24	4959900
67	फर्रुखाबाद	183	2746610	60425420	55	26622800	36	5989000
68	कन्नौज	142	2443258	53751676	40	15713000	30	3430400
	कानपुर प्रभार	995	24829262	546243764	384	305161700	316	73704600
69	झांसी	221	2457107	54056354	60	33384200	57	12150400
70	जालौन	184	2401345	52829590	58	18776600	39	6064600
71	ललितपुर	79	1469930	32338460	33	10969700	22	2524800
	झांसी प्रभार	484	6328382	139224404	151	63130500	118	20739800
72	बांदा	123	1628073	35817606	36	21231900	24	4119200
73	चित्रकूट	46	536610	11805420	28	10046100	18	2407200
74	हमीरपुर	145	1348900	29675800	33	8008900	26	2382600
75	महोबा	81	932040	20504880	19	6193200	12	1973200
	चित्रकूटधाम प्रभार	395	4445623	97803706	116	45480100	80	10882200
	आगरा जोन	3224	66240847	1457298634	1327	918067620	1127	288618398
	प्रदेश योग	13399	252655754	5558426588	4765	2856903252	3772	781915373

परिशिष्ट – 13

विदेशी मदिरा की थोक बिक्री एवं विकृत स्पिरिट के अनुज्ञापन के प्रकार व उनकी संख्या का (प्रभारवार) विवरण वर्ष 2012-13

(दिनांक 15.05.2012 तक की स्थिति)

क्रम सं०	प्रभार	एफ०एल०-2	एफ०एल०-2बी	एफ०एल०-2डी	बी०डब्लू०एफ० एल०-2ए	बी०डब्लू०एफ० एल०-2बी	बी०डब्लू०एफ० एल०-2सी	बी०डब्लू०एफ० एल०-2डी	एफ०एल०-16 कार्यरत	एफ०एल०-17 कार्यरत
1	वाराणसी	3	2	1	-	-	-	-	4	41
2	इलाहाबाद	2	-	-	-	-	-	-	8	56
3	मिर्जापुर	4	-	-	-	-	-	-	1	2
4	आजमगढ़	3	-	-	-	-	-	-	1	9
5	गोरखपुर	1	-	-	-	-	-	-	4	16
6	बस्ती	1	-	-	-	-	-	-	1	4
7	लखनऊ	4	-	3	-	1	-	-	11	85
8	फैजाबाद	4	-	-	-	-	-	-	4	19
9	देवीपाटन	2	-	-	-	-	-	-	5	28
10	मेरठ	4	-	8	3	10	2	2	5	27
11	मुरादाबाद	5	-	-	-	-	-	-	6	30
12	सहारनपुर	2	-	-	-	-	-	-	6	21
13	बरेली	3	-	-	2	-	1	-	5	27
14	आगरा	4	-	1	-	-	1	-	3	25
15	अलीगढ़	3	-	-	-	-	-	-	1	2
16	कानपुर	5	1	-	-	-	-	-	9	30
17	झांसी	4	-	-	-	-	-	-	-	-
18	चित्रकूट	1	-	-	-	-	-	-	-	6
	योग	55	3	13	5	11	4	2	74	428

- नोट - 1- वर्ष 2012-13 में प्रदेश में सी०एल०-1बी के 05 थोक अनुज्ञापन प्रति जोनवार स्वीकृत है।
2- वर्ष 2012-13 में प्रदेश के 75 जनपदों में सी०एल०-1सी० के 75 थोक अनुज्ञापन स्वीकृत है ।

परिशिष्ट - 14 (अ)

विभिन्न मादक पदार्थों के थोक एवं फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के लिए वर्ष 2012-13 की लाइसेंस फीस / प्रणाली का संक्षिप्त विवरण

क्र०सं०	मादक पदार्थ का नाम	प्रचलित प्रणाली	लाइसेंस के प्रकार	लाइसेंस फीस की दर	प्रतिभूति धनराशि
(क)	विदेशी मदिरा / बियर	थोक बिक्री प्रणाली	बी०डब्लू०एफ०एल०-२ए	5,00,000 /-	3,00,000 /-
			बी०डब्लू०एफ०एल०-२बी	3,50,000 /-	1,00,000 /-
			बी०डब्लू०एफ०एल०-२सी	50,000 /-	25,000 /-
			बी०डब्लू०एफ०एल०-२डी	25,000 /-	15,000 /-
1	देशी शराब	लाइसेंस प्रणाली	1-सी०एल०-१बी जोनवार 2-सी०एल०-१सी जनपदवार	रु० 9.50 करोड़ प्रति जोन रु० 1.35 लाख प्रति जनपद	रु० 95.00 लाख प्रति जोन रु० 13500 प्रति जनपद
2	भाँग	टेण्डर प्रणाली	आई०डी०-१/३	निःशुल्क	
क्रमांक	अनुज्ञापन का प्रकार		अनुज्ञापन शुल्क प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिए		प्रतिभूति धनराशि
3	विदेशी मदिरा का थोक अनुज्ञापन				
(1)	एफ०एल०-१/१ए		3,50,000 /- (वर्ष या वर्ष के भाग के लिए)		35,000 /-
(2)	एफ०एल०-२बी		5,00,000 /- (वर्ष या वर्ष के भाग के लिए)		50,000 /-
(3)	एफ०एल०-२		थोक अनुज्ञापनों के अनुज्ञापन शुल्क को युवित्त-युक्त करते हुए वर्ष 2012-13 के लिए निम्नानुसार अनुज्ञापन शुल्क निर्धारित किया गया है:-		
			जनपद में वर्ष 2011-12 में फुटकर अनुज्ञापनों से विक्रय होने वाली अनुमानित बोतलों की संख्या		
			7,00,000 बोतलों तक	5.00 लाख	50,000.00
			7,00,000 से 15,00,000 बोतल तक	10.00 लाख	1,00,000.00
			15,00,000 से 25,00,000 बोतल तक	20.00 लाख	2,00,000.00
			25,00,000 से 30,00,000 बोतल तक	30.00 लाख	3,00,000.00
			30,00,000 से अधिक बोतल	40.00 लाख	4,00,000.00
(4)	एफ०एल०-२डी (समुद्रपार से आयातित विदेशी मदिरा)			50,000.00	10,000

			फुटकर बिक्री के लाइसेंस	
1	देशी शराब	-	नवीनीकरण / लाटरी द्वारा व्यवस्थापन	सी०एल०-५ग
2	भाँग	-	टेण्डर सह नीलामी प्रणाली न्यूनतम प्रत्याभूति मात्रा सहित	आई०डी०-१४ए
3	(अ) विदेशी मदिरा	-	नवीनीकरण / लाटरी द्वारा व्यवस्थापन	एफ०एल०-५घ
	(ब) बीयर	-	नवीनीकरण / लाटरी द्वारा व्यवस्थापन	एफ०एल०-५बी
	(स) वाइन *	-	एफ०एल०-५घ अनुज्ञापनों के माध्यम से निःशुल्क	एफ०एल०-५सी
4	बार अनुज्ञापन **	-	1. निर्धारित लाइसेंस	

नोट :- * विदेशी मदिरा की दुकानों पर वाइन विक्रय हेतु अतिरिक्त लाइसेंस फीस की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है ।

** बार अनुज्ञापनों की निर्धारित लाइसेंस फीस का विवरण परिशिष्ट-14(स) में दिया गया है ।

परिशिष्ट – 14 (ब)
वर्ष 2012-13 के लिए प्रस्तावित विदेशी मदिरा की श्रेणियाँ, प्रतिफल फीस व सूत्र

क्रम सं०	विदेशी मदिरा की श्रेणी	एक्स आसवनी/एक्स ब्रांड/एक्स सी०एस० डी० मूल्य प्रति बोतल (रु० में) (एक्स)	सुरक्षा होलोग्राम की श्रेणी	प्रतिफल फीस प्रति लीटर (रु० में)	प्रतिफल फीस प्रति बोतल (750 मि०ली०) (रु० में) (डी)	अधिकतम थोक विक्रय मूल्य	फुटकर विक्रेता का मार्जिन	अधिकतम फुटकर मूल्य (पी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	इकोनामी	30.00 तक	जी.जी.जी.	230.00	172.50	डी + 1.1एक्स	1.1 एक्स	डी+2.2 एक्स
2	मीडियम	30.00 से अधिक 42.00 तक	एफ.एफ.एफ.	240.00	180.00	डी + 1.05एक्स	1.05 एक्स	डी+2.1 एक्स
3	रेगुलर बीटा	42.00 से अधिक 52.00 तक	ई.ई. बीटा	255.00	191.25	डी+1.05एक्स	0.95एक्स	डी+2.0 एक्स
4	रेगुलर अल्फा	52.00 से अधिक 62.00 तक	ई.ई. अल्फा	275.00	206.25	डी+1.05एक्स	0.85एक्स	डी+1.9 एक्स
5	सेमी प्रीमियम बीटा	62.00 से अधिक 82.00 तक	डी.डी. बीटा	315.00	236.25	डी+1.05एक्स	0.75एक्स	डी+1.8 एक्स
6	सेमी प्रीमियम अल्फा	82.00 से अधिक 102.00 तक	डी.डी. अल्फा	360.00	270.00	डी+1.05एक्स	0.75एक्स	डी+1.8 एक्स
7	प्रीमियम बीटा	100.00 से अधिक 130.00 तक	सी.सी. बीटा	410.00	307.50	डी+1.05एक्स	0.65एक्स	डी+1.7 एक्स
8	प्रीमियम अल्फा	130.00 से अधिक 170.00 तक	सी.सी. अल्फा	460.00	345.00	डी+1.05एक्स	0.55एक्स	डी+1.6 एक्स
9	सुपर प्रीमियम बीटा	170.00 से अधिक 230.00 तक	बी.बी. बीटा	615.00	461.25	डी+1.05एक्स	0.35एक्स	डी+1.4 एक्स
10	सुपर प्रीमियम अल्फा	230.00 से अधिक 290.00 तक	बी.बी. अल्फा	640.00	480.00	डी+1.05एक्स	0.35एक्स	डी+1.4 एक्स
11	स्काॅच बीटा	290.00 से अधिक 500.00 तक	ए.ए. बीटा	770.00	577.50	डी+1.05एक्स	0.25एक्स	डी+1.3 एक्स
12	स्काॅच अल्फा	500.00 से अधिक	ए.ए. अल्फा	795.00	596.25	डी+1.05एक्स	0.25एक्स	डी+1.3 एक्स

परिशिष्ट - 14 (स)

शासनादेश संख्या 584ई-2/तेरह-2011-10/11 दिनांक 12-3-2011 के अन्तर्गत बार अनुज्ञापनों की फीस दिनांक 01.04.2011 से निम्नवत् निर्धारित है:

होटल/रेस्टोरेन्ट बार /क्लब परमिट	निश्चित फीस प्रणाली (रुपये में)		
1	2	3	4
	आगरा के नगर निगम या नगर पालिका परिषद क्षेत्र, जिसमें छावनी बोर्ड और विकास प्राधिकरण यदि कोई हो, के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, में स्थित होटल	कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, नोयडा, लखनऊ, गोरखपुर, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़, बुलन्दशहर, झाँसी, मथुरा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, के नगर निगम या नगर पालिका, परिषद क्षेत्र में, जिसमें छावनी बोर्ड और विकास प्राधिकरण, यदि कोई हो, के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, में स्थित होटल	स्तम्भ 2 और 3 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में स्थित होटल
(क) एफ0एल0-6 (समिश्र) कमरों की संख्या के आधार पर होटलों का वर्गीकरण			
(एक) 30 कमरों तक	रु0 5,00,000	रु0 5,00,000	रु0 4,00,000
(दो) 30 कमरों से अधिक किन्तु 70 से अनाधिक तक	रु0 6,00,000	रु0 6,00,000	रु0 4,50,000
(तीन) 70 कमरों से अधिक किन्तु 100 से अनाधिक तक	रु0 6,50,000	रु0 6,50,000	रु0 6,00,000
(चार) 100 से अधिक कमरे	रु0 7,50,000	रु0 7,50,000	रु0 6,50,000
(ख) एफ0एल0-6क समिश्र (चार व पांच सितारा होटल)	रु0 12,00,000	रु0 12,00,000	रु0 11,00,000
(ग) एफ0एल0-7 के लिए	रु0 4,75,000	रु0 4,50,000	रु0 3,50,000
(घ) एफ0एल0-7ख के लिए	रु0 1,50,000	रु0 1,50,000	रु0 1,00,000
(ङ) एफ0एल0-7सी (क्लब बार)	-	-	-
(एक) 100 सदस्यों तक	रु0 1,25,000	रु0 1,25,000	रु0 1,25,000
(दो) 101 से 500 तक के सदस्यों के लिए	रु0 1,75,000	रु0 1,75,000	रु0 1,75,000
(तीन) 500 से अधिक सदस्यों के लिए	रु0 2,00,000	रु0 2,00,000	रु0 2,00,000

परिशिष्ट – 15
प्रतिफल फीस की दरें

क्र०सं०	मद का प्रकार	2012-2013
1	देशी शराब	प्रतिफल फीस की दर रु० में
	(1) 28 प्रतिशत वी०/वी० तीव्रता	रु० 123.67 प्रति ब०ली०
	(2) 36 प्रतिशत वी०/वी० तीव्रता	रु० 159.00 प्रति ब०ली०
	(3) 42.8 प्रतिशत वी०/वी० तीव्रता	रु० 189.03 प्रति ब०ली०
2	भाँग	रु० 20.00 प्रति कि०ग्रा०
3	विदेशी मदिरा	अब श्रेणीवार निर्धारित है। जिसकी सूची परिशिष्ट – 14 (ब) में सलग्न है।
4	बियर	
	(अ) 5 प्रतिशत तीव्रता की सामान्य बियर	रु० 23.50 प्रति बोतल (650 एम०एल०) या रु० 36.16 प्रति लीटर
	(ब) 8 प्रतिशत तीव्रता की स्ट्रॉंग बियर	रु० 38/- प्रति बोतल (650 एम०एल०) या रु० 58.47 प्रति लीटर
सेना को आपूर्ति		
प्रतिफल फीस की दर		
क्र०सं०	मद का प्रकार	2012-2013
1	एफ०एल०-9	सिविल के लिए निर्धारित प्रतिफल फीस का आधा
2	एफ०एल०-9ए	रु० 53.33 प्रति लीटर या रु० 40/- प्रति बोतल रियायती रम की बिक्री हेतु

परिशिष्ट – 16
निर्यात फीस की दरें

क्रम सं०	प्रकार	2012-2013
1	शोधित आसव	2.50 प्रति ब०ली०
2	ई०एन०ए०	3.00 प्रति ब०ली०
3	एब्सोल्यूट अल्कोहल	3.00 प्रति ब०ली०
4	विशेष विकृत सुरा	1.00 प्रति ब०ली०
5	देशी मदिरा (निर्यात शुल्क)	10.00 प्रति अ०ली०
6	विदेशी मदिरा (बोतल में)	2.67 प्रति अ०ली०
7	विदेशी मदिरा (ब०ली० में)	5.00 प्रति अ०ली०
8	बीयर	1.00 प्रति ब०ली०
9	रम (भारतीय सेना को)	0.72 प्रति अ०ली०
10	माल्ट स्प्रिट	5.00 प्रति अ०ली०
11	भाँग	4.00 प्रति कि०ग्रा०

अल्कोहल पर आयात परमिट फीस

उ०प्र० में अल्कोहल पर आयात परमिट फीस रु० 1.50 प्रति लीटर निर्धारित की गयी है।

परचेज टैक्स

परचेज टैक्स की प्रचलित 2 श्रेणियों को समाप्त कर केवल एक ही श्रेणी रु० 0.80 प्रति लीटर निर्धारित किया गया है।

डिनेचुरेशन फीस

सभी प्रकार की विकृत स्प्रिट (एफ०एल०-16, 17, 39, 40, 41 व पावर अल्कोहल सहित, निर्यात की जाने वाली विकृत सुरा) पर 15 पैसे प्रति लीटर डिनेचुरेशन फीस निर्धारित किया गया है।

निर्यात परमिट फीस

1. 1-4-2005 से विकृत अल्कोहल व पावर अल्कोहल पर निर्यात फीस रुपया 1.00 प्रति लीटर निर्धारित है।

2. 2007-2008 से रेक्टिफाइड स्प्रिट व ई०एन०ए० पर निर्यात परमिट फीस निम्नानुसार है:-

1. रेक्टिफाइड स्प्रिट-रु० 2.50 प्रति लीटर
2. एब्सल्यूट अल्कोहल/ई०एन०ए०-रु० 3.00 प्रति लीटर

समुद्रपार से आयातित विदेशी मदिरा की आयात परमिट फीस निम्नानुसार है:-

(1) समुद्रपार से आयातित स्प्रिट

एक्स कस्टम बाण्डेड मूल्य	परमिट फीस 2012-2013
रु० 500/- तक	770/- प्रति बोतल
रु० 500/- से अधिक	795/- प्रति बोतल

(2) समुद्रपार से आयातित वाइन

750 एम०एल० बोतल पर न्यूनतम रु० 66.66 या बोतल के अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।

(3) समुद्रपार से आयातित बियर

(क)	5 प्रतिशत (वी/वी) तक	रु० 20/-	650 एम०एल० की प्रति बोतल
(ख)	5 प्रतिशत (वी/वी) से अधिक एवं 8 प्रतिशत (वी/वी) तक	रु० 35/-	650 एम०एल० की प्रति बोतल

परिशिष्ट - 17

पूर्ण वर्ष 2000-2001 से 2011-12 तक में प्रदेश में हुए विदेशी मदिरा का उपभोग (बोतलों में)

वर्ष	एफ0एल0-2/2ए के अन्तर्गत		एफ0एल0-5 के अन्तर्गत	
	स्प्रिट	बियर	स्प्रिट	बियर
2000-2001	40208180	27540653	34157024	25974697
2001-2002	43897665	35819340	35577262	35205981
2002-2003	45356484	41862168	45037749	40425698
2003-2004	48835615	40543666	46434552	38784212
2004-2005	50676708	46471324	49601362	41949685
2005-2006	55416766	55308180	54594624	48936485
2006-2007	65466171	66308908	63301436	59712600
2007-2008	65335977	68871007	68660872.4	66257414
2008-2009	74491403	65162599	78157639.6	72114620
2009-2010	108092764	136314387	92666570	91604366
2010-2011	96267379	111936639	109095473	117163627
2011-2012	117338402	154452199	122134400	147240045

परिशिष्ट - 18

पूर्ण वर्ष 2000-2001 से 2011-12 तक में प्रदेश में हुए विदेशी मदिरा एफ0 एल0 6/7 तथा एफ0 एल0 9/9ए के उपभोग का विवरण (मात्रा बोतलों में)

वर्ष	एफ0एल0-6/7 अनुज्ञापन के अन्तर्गत		एफ0एल0-9/9ए अनुज्ञापन के अन्तर्गत		
	स्प्रिट	बियर	स्प्रिट	बियर	रम
2000-2001	1754620	3523975	4320900	1404013	6771780
2001-2002	1790247	3292110	2866572	826504	5906472
2002-2003	843121	3234849	3256248	860484	5439887
2003-2004	857562	3219022	3206927	804488	5341625
2004-2005	980598	3763463	4150213	1131456	5198224
2005-2006	1109052	4315835	3121065	1123952	3636562
2006-2007	1185880	4878958	3350480	1170541	3698670
2007-2008	1208518	5090824	3595214	816283	4609532
2008-2009	1216263	4927067	3693253	824279	4560400
2009-2010	1303536	5604782	4293511	1126394	5058919
2010-2011	1382851	6840190	4399372	1307254	4576740
2011-2012	1373543	7232127	4660459	1160920	4818746

परिशिष्ट - 19

वर्ष 2011-12 में जनपदवार देशी शराब तथा भांग के उपभोग के आंकड़ों का विवरण

क्र. सं.	प्रभार का नाम	जनपद का नाम	निम्न तीव्रता 25% वी./वी. (ब०ली० में)	उच्च तीव्रता 36% वी./वी. (ब०ली० में)	उच्च तीव्रता 42.8% वी./वी. (ब०ली० में)	कुल 36% वी./वी. के टर्म में (ब०ली० में)	भाग (किग्रा० में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वाराणसी	वाराणसी	708624	5145395	1366443	7321253	43510
		चन्दौली	220001	1297461	256563	1773646	5502
		गाजीपुर	127530	3241976	302463	3700789	1238
		जौनपुर	39810	3111234	1004894	4336913	4473
		योग	1095965	12796066	2930363	17132601	54723
2	इलाहाबाद	इलाहाबाद	68560	4899724	532602	5586269	21702
		कौशाम्बी	7242	264943	43225	321967	2100
		फतेहपुर	0	2175853	156793	2362262	7960
		प्रतापगढ़	0	1567900	76446	1658786	4280
		योग	75802	8908420	809066	9929284	36042
3	मिर्जापुर	मिर्जापुर	198498	1251059	319789	1785684	12510
		सोनभद्र	219467	718582	199942	1127037	14180
		सं.रवि.नगर	64746	872687	232557	1199543	4800
		योग	482711	2842328	752288	4112264	31490
4	आजमगढ़	आजमगढ़	247781	3109418	1465809	5044877	2694
		बलिया	505485	868308	288664	1604766	1060
		मऊ	863262	1083708	268631	2074698	220
		योग	1616528	5061434	2023104	8724341	3974
5	गोरखपुर	गोरखपुर	3332220	1728127	106344	4447026	3294
		देवरिया	2888171	1105130	238164	3635277	51
		महराजगंज	2103786	725931	190706	2589405	0
		कुशीनगर	2844686	907341	123889	3267798	278
		योग	11168863	4466529	659103	13939506	3623
6	बस्ती	बस्ती	2049714	963250	133038	2716095	698
		सिद्धार्थनगर	1312882	574635	66036	1674566	354
		सन्तकबीर नगर	1160305	403785	27910	1339684	186
		योग	4522901	1941670	226984	5730345	1238
7	लखनऊ	लखनऊ	13445	12472457	539991	13124906	19494
		हरदोई	0	2910900	114977	3047594	15190
		खीरी	76131	1553977	141080	1780935	7010
		रायबरेली	0	1448120	0	1448120	12813
		सीतापुर	0	2671560	118350	2812265	9750
		उन्नाव	0	3469851	0	3469851	25299
		योग	89576	24526865	914398	25683671	89556

क. सं.	प्रभार का नाम	जनपद का नाम	निम्न तीव्रता 25% वी./वी. (ब०ली० में)	उच्च तीव्रता 36% वी./वी. (ब०ली० में)	उच्च तीव्रता 42.8% वी./वी. (ब०ली० में)	कुल 36% वी./वी. के टर्म में (ब०ली० में)	भाग (किग्रा० में)
1	2	3	4	5	6	7	8
8	फैजाबाद	फैजाबाद	54276	1778919	207049	2067304	1818
		बाराबंकी	16630	2589319	39029	2648659	1484
		सुल्तानपुर	0	1419228	66181	1497909	1840
		अम्बेदकर नगर	0	2941376	23149	2968897	1946
		सी०ए०एम० नगर	0	1016485	26641	1048158	3241
		योग	70906	9745327	362049	10230927	10329
9	देवीपाटन	गोंडा	225449	1006038	118758	1322628	3358
		बहराइच	1712675	356180	88370	1793703	497
		बलरामपुर	45265	1264198	23352	1327177	1629
		श्रावस्ती	382093	79354	21573	402270	120
		योग	2365482	2705770	252053	4845778	5604
10	बरेली	बरेली	13500	5692237	927407	6805324	5160
		बदायूँ	112030	3278682	459980	3912706	1523
		पीलीभीत	659611	881799	326945	1783677	31
		शाहजहाँपुर	260184	1676372	564799	2550278	1948
		योग	1045325	11529090	2279131	15051985	8662
11	मेरठ	मेरठ	144837	6693075	717759	7659094	5080
		बागपत	93600	1450985	46314	1578868	1270
		बुलन्दशहर	103104	5400385	864508	6508403	4060
		गाजियाबाद	278550	10080449	1001655	11488018	3660
		गौ.बु.नगर	378442	5087648	631610	6132990	1400
		योग	998533	28712542	3261846	33367373	15470
12-	मुरादाबाद	मुरादाबाद	239850	6183957	330477	6763461	3456
		जे.पी.नगर	177436	1877030	434720	2531909	318
		रामपुर	199150	1787372	60628	2014390	0
		बिजनौर	37437	4385246	567829	5089457	1110
		योग	653873	14233605	1393654	16399217	4884
13	सहारनपुर	सहारनपुर	1131849	3807689	458752	5233673	1740
		मु.नगर	130491	4524557	243738	4915857	2031
		योग	1262340	8332246	702490	10149530	3771
14-	आगरा	आगरा	27750	8565960	526996	9214089	29021
		फिरोजाबाद	0	3557288	114511	3693429	4752
		मथुरा	40500	2288794	80820	2416389	42800
		मैनपुरी	0	1857252	60651	1929359	2190
		योग	68250	16269294	782978	17253266	78763

क्र. सं.	प्रभार का नाम	जनपद का नाम	निम्न तीव्रता 25% वी./वी. (ब०ली० में)	उच्च तीव्रता 36% वी./वी. (ब०ली० में)	उच्च तीव्रता 42.8% वी./वी. (ब०ली० में)	कुल 36% वी./वी. के टर्म में (ब०ली० में)	भाग (किग्रा० में)
1	2	3	4	5	6	7	8
15-		अलीगढ़	0	5590686	176274	5800256	5262
		महामायानगर	0	2256102	0	2256102	5271
		एटा	0	2080313	74637	2169048	1590
		काशीरामनगर	0	1430424	8091	1440043	1980
		योग	0	11357525	259002	11665449	14103
16-	कानपुर	कानपुर नगर	198613	10893871	1017072	12257577	10192
		कानपुर देहात	0	2319644	38043	2364872	3482
		इटावा	0	2122320	173749	2328888	3131
		औरैया	25623	1499973	60548	1591893	3671
		फर्रुखाबाद	0	2273032	267282	2590800	2475
		कन्नौज	0	2231097	70479	2314889	1992
		योग	224236	21339937	1627173	23448919	24943
17	झाँसी	झाँसी	2247594	393894	144180	2313936	9984
		जालौन	0	2279156	29	2279190	3225
		ललितपुर	1319295	128529	176733	1365056	2554
		योग	3566889	2801579	320942	5958182	15763
18-	चित्रकूटधाम	बांदा	27177	1363978	116898	1524100	4400
		चित्रकूट	0	458109	39540	505118	1800
		हमीरपुर	975997	512610	0	1271936	4300
		महोबा	804838	234768	15266	879082	1610
		योग	1808012	2569465	171704	4180236	12110
		प्रदेश योग	31116192	190139692	19728328	237802874	415048

परिशिष्ट - 20

केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10, वर्ष 2010-11 व वर्ष 2011-12 में विश्लेषित नमूनों एवं अर्जित राजस्व का विवरण

क्र. सं.	नमूनों के प्रकार	वर्ष 2009-2010		वर्ष 2010-2011		वर्ष 2011-2012	
		विश्लेषित नमूने	अर्जित राजस्व (रु. में)	विश्लेषित नमूने	अर्जित राजस्व (रु.में)	विश्लेषित नमूने	अर्जित राजस्व (रु. में)
1	आर. एस., पी.एस., ई.एन. ए आदि	1592	254720	2695	431520	2881	460960
2	विकारक	1058	168640	2203	352480	2549	407840
3	कलर/एसेन्स/कैरामेल	158	20640	128	25440	169	27040
4	ओ.डी.एस./एस.डी.एस.	161	25760	189	30400	152	24320
5	बियर	1322	217920	1353	215840	1328	218240
6	शीरा (एफ.एस.)	996	163520	1370	218880	1465	235520
7	शीरा (टी.आर.एस.)	109	2240	94	1120	79	2080
8	विभागीय नमूने	325	9760	542	2880	216	5760
9	एस.डी.एस.(पूर्व/पश्चात्)	151	44800	143	49760	162	106240
10	केनजूस	1	160	1	160	01	160
11	बी.आई.एस.एस.	0	0	0	0	0	0
12	ग्रेन फ्लोर	0	7520	78	16320	144	13760
13	फार्मसियों के नमूने	396	640	1717	640	2746	382440
	योग	6269	916320	10513	1345440	11892	1884360

परिशिष्ट – 21

केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 (1.4.2011 से 31.03.2012 तक)

तथा विगत तीन वर्षों में विश्लेषित नमूने व उनसे अर्जित परीक्षण शुल्क का विवरण

वित्तीय वर्ष	मेरठ		लखनऊ		गोरखपुर		इलाहाबाद		योग	
	विश्लेषित नमूने	अर्जित राजस्व (रु. में)	विश्लेषित नमूने	अर्जित राजस्व (रु. में)	विश्लेषित नमूने	अर्जित राजस्व (रु. में)	विश्लेषित नमूने	अर्जित राजस्व (रु. में)	विश्लेषित नमूने	अर्जित राजस्व (रु. में)
2008–2009	4858	774880	1513	219520	1448	208480	142	2400	7961	1205280
2009–2010	3706	583040	1224	195360	933	136640	406	1280	6269	916320
2010–2011	5470	846160	1661	264000	1640	232640	1778	640	10513	1345440
2011–2012	5540	912160	2026	344000	1562	245120	2764	383080	11892	1884360

परिशिष्ट – 22
स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स इकाइयों के गठन की स्थिति

क्रमांक	प्रभार/जोन	आवंटित इकाइयों का विवरण
1	मेरठ प्रभार	एस.एस.एफ.(ए) 6 इकाइयों
2	सहारनपुर प्रभार	एस.एस.एफ.(ए) 4 इकाइयों
3	मुरादाबाद प्रभार	एस.एस.एफ.(ए) 2 इकाइयों
4	बरेली प्रभार	एस.एस.एफ.(ए) 2 इकाइयों
5	वाराणसी प्रभार	एस.एस.एफ.(ए) 3 इकाइयों
6	इलाहाबाद प्रभार	एस.एस.एफ.(ए) 2 इकाइयों
7	मिर्जापुर प्रभार	एस.एस.एफ.(ए) 2 इकाइयों
8	आजमगढ़ प्रभार	एस.एस.एफ.(ए) 2 इकाइयों
9	गोरखपुर प्रभार	एस.एस.एफ.(ए) 2 इकाइयों
10	बस्ती प्रभार	एस.एस.एफ.(ए) 1 इकाई
11	लखनऊ प्रभार	एस.एस.एफ.(ए) 2 इकाइयों
12	फैजाबाद प्रभार	एस.एस.एफ.(ए) 1 इकाई
13	देवीपाटन प्रभार	एस.एस.एफ.(ए) 1 इकाई
14	आगरा प्रभार	एस.एस.एफ.(ए) 3 इकाइयों
15	अलीगढ़ प्रभार	एस.एस.एफ.(ए) 3 इकाइयों
16	कानपुर प्रभार	एस.एस.एफ.(ए) 2 इकाइयों
17	झांसी प्रभार	एस.एस.एफ.(ए) 2 इकाइयों
18	चित्रकूट प्रभार	एस.एस.एफ.(बी) 1 इकाई
19	मेरठ जोन	एस.एस.एफ.(बी) 1 इकाई
20	आगरा जोन	एस.एस.एफ.(बी) 1 इकाई
21	वाराणसी जोन	एस.एस.एफ.(बी) 1 इकाई
22	लखनऊ जोन	एस.एस.एफ.(बी) 1 इकाई
23	गोरखपुर जोन	एस.एस.एफ.(बी) 1 इकाई
24	ई.आई.बी.	एस.एस.एफ.(बी) 1 इकाई
	सम्पूर्ण योग	(ए) श्रेणी की 40 तथा (बी) श्रेणी की 7 इकाइयों

-कुल 47 इकाइयों

परिशिष्ट – 23

(क) मुख्यालय / कैम्प कार्यालय के अधिकारियों / अनुभाग अधिकारियों की ई मेल आई डी

क्रमांक	अनुभाग अधिकारी का नाम	ई मेल आई डी
1	आबकारी आयुक्त, उ0प्र0	hq_ec@upexciseportal.in
2	अपर आबकारी आयुक्त, (प्रशासन) उ0प्र0	hq_addl_ecadmic@upexciseportal.in
3	अपर आबकारी आयुक्त, (ला0 / औ0वि0) उ0प्र0	hq_jec_hq@upexciseportal.in
4	विधि परामर्शी	hq_legal@upexciseportal.in
5	वित्त नियन्त्रक	hq_fc@upexciseportal.in
6	संयुक्त आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0	hq_jec_eib@upexciseportal.in
7	उप आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0 प्रथम	hq_dec_eib1@upexciseportal.in
8	उप आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0 द्वितीय	hq_dec_eib2@upexciseportal.in
9	उप आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0 तृतीय	hq_dec_eib3@upexciseportal.in
10	उप आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0 चतुर्थ	hq_dec_eib4@upexciseportal.in
11	उप आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0 पंचम	hq_dec_eib5@upexciseportal.in
12	सहायक आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0	hq_aec_eib@upexciseportal.in
13	वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी	hq_sr_stst_officer@upexciseportal.in
14	उप आबकारी आयुक्त (विधि)	hq_dec_law@upexciseportal.in
15	सहायक आबकारी आयुक्त (विधि)	hq_aec_law@upexciseportal.in
16	उप आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग)	hq_dec_lic@upexciseportal.in
17	सहायक आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग)	hq_aec_lic@upexciseportal.in
18	वरिष्ठ प्राविधिक अधिकारी	hq_sr_tech_officer@upexciseportal.in
19	तकनीकी अधिकारी, प्रथम	hq_tech_officer1@upexciseportal.in
20	तकनीकी अधिकारी, द्वितीय	hq_tech_officer2@upexciseportal.in
21	उप आबकारी आयुक्त (का0 / अधि0)	hq_dec_estab@upexciseportal.in
22	सहायक आबकारी आयुक्त (का0 / अधि0)	hq_aec_estab@upexciseportal.in
23	उप आबकारी आयुक्त (उत्पादन)	hq_dec_sheera@upexciseportal.in
24	उप आबकारी आयुक्त (वितरण)	hq_dec_alcohol@upexciseportal.in
25	वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी	hq_sr_ao@upexciseportal.in
26	लेखाधिकारी	hq_ao@upexciseportal.in
27	सहायक लेखाधिकारी	hq_aao@upexciseportal.in
28	सहायक अल्कोहल टेक्नालाजिस्ट	hq_lab_at@upexciseportal.in

29	संयुक्त आबकारी आयुक्त, मुख्यालय	hq_jec_hq@upexciseportal.in
30	संयुक्त आबकारी आयुक्त, (टास्क फोर्स)	hq_jec_taskforce@upexciseportal.in
31	सहायक आबकारी आयुक्त, (टास्क फोर्स)	hq_aec_taskforce@upexciseportal.in
32	कैम्प कार्यालय, आबकारी आयुक्त, लखनऊ	hq_ec_camp@upexciseportal.in
33	वैयक्तिक सहायक, कैम्प कार्यालय, आबकारी आयुक्त, लखनऊ	hq_pa_ec_camp_lko@upexciseportal.in
34	वैयक्तिक सहायक, आबकारी आयुक्त, उ०प्र०	hq_pa_ec_up@upexciseportal.in
35	वैयक्तिक सहायक, अपर आबकारी आयुक्त, (प्रशासन) उ०प्र०	hq_pa_addl_ecadmin@upexciseportal.in
36	वैयक्तिक सहायक, अपर आबकारी आयुक्त, (ला०/औ०वि०) उ०प्र०	hq_pa_addl_ecllc@upexciseportal.in
37	वैयक्तिक सहायक, संयुक्त आबकारी आयुक्त, ई०आई०बी०	hq_pa_jec_eib@upexciseportal.in
38	वैयक्तिक सहायक, वित्त नियन्त्रक	hq_pa_fc@upexciseportal.in
39	वैयक्तिक सहायक, विधि परामर्शी	hq_pa_legal_adv@upexciseportal.in

(ख) मुख्यालय के अनुभागों की ई मेल आई डी

क्रमांक	अनुभागों का नाम	ई मेल आई डी
1	ई०आई०बी० अनुभाग	hq_eib_sec@upexciseportal.in
2	सांख्यिकी अनुभाग	hq_stat_sec@upexciseportal.in
3	लाइसेंस अनुभाग	hq_lic_sec@upexciseportal.in
4	प्राविधिक अनुभाग	hq_tech_sec@upexciseportal.in
5	प्रबन्ध अनुभाग	hq_estab_sec@upexciseportal.in
6	लेखा अनुभाग	hq_account_sec@upexciseportal.in
7	परसनल अनुभाग	hq_personnal_sec@upexciseportal.in
8	स्टोर अनुभाग	hq_store_sec@upexciseportal.in
9	शीरा अनुभाग	hq_sheera_sec@upexciseportal.in
10	अल्कोहल अनुभाग	hq_alcohol_sec@upexciseportal.in
11	पुस्तकालय	hq_library_sec@upexciseportal.in
12	आडिट अनुभाग	hq_audit_sec@upexciseportal.in
13	केन्द्रीय प्रयोगशाला	hq_central_sec@upexciseportal.in
14	टास्क फोर्स	hq_task_sec@upexciseportal.in
15	विधि अनुभाग	hq_law_sec@upexciseportal.in
16	फैक्स/मुख्यालय मेल सेन्टर	hq_hmc_sec@upexciseportal.in

(ग) संयुक्त आबकारी अधिकारियों की ई मेल आई डी

क्रमांक	कार्यालय का नाम	ई मेल आई डी
1	संयुक्त आबकारी आयुक्त, वाराणसी	jec_vns@upexciseportal.in
2	संयुक्त आबकारी आयुक्त, गोरखपुर	jec_gkp@upexciseportal.in
3	संयुक्त आबकारी आयुक्त, लखनऊ	jec_lko@upexciseportal.in
4	संयुक्त आबकारी आयुक्त, मेरठ	jec_mrt@upexciseportal.in
5	संयुक्त आबकारी आयुक्त, आगरा	jec_agr@upexciseportal.in

(घ) उप आबकारी अधिकारियों की ई मेल आई डी

क्रमांक	कार्यालय का नाम	ई मेल आई डी
1	उप आबकारी आयुक्त, वाराणसी	dec_vns@upexciseportal.in
2	उप आबकारी आयुक्त, इलाहाबाद	dec_ald@upexciseportal.in
3	उप आबकारी आयुक्त, मिर्जापुर	dec_mrj@upexciseportal.in
4	उप आबकारी आयुक्त, आजमगढ़	dec_azm@upexciseportal.in
5	उप आबकारी आयुक्त, गोरखपुर	dec_gkp@upexciseportal.in
6	उप आबकारी आयुक्त, बस्ती	dec_bst@upexciseportal.in
7	उप आबकारी आयुक्त, लखनऊ	dec_lko@upexciseportal.in
8	उप आबकारी आयुक्त, फैजाबाद	dec_fzb@upexciseportal.in
9	उप आबकारी आयुक्त, देवीपाटन	dec_dpg@upexciseportal.in
10	उप आबकारी आयुक्त, बरेली	dec_bre@upexciseportal.in
11	उप आबकारी आयुक्त, मेरठ	dec_mrt@upexciseportal.in
12	उप आबकारी आयुक्त, मुरादाबाद	dec_mbd@upexciseportal.in
13	उप आबकारी आयुक्त, सहारनपुर	dec_shn@upexciseportal.in
14	उप आबकारी आयुक्त, आगरा	dec_agr@upexciseportal.in
15	उप आबकारी आयुक्त, अलीगढ़	dec_alg@upexciseportal.in
16	उप आबकारी आयुक्त, कानपुर	dec_knp@upexciseportal.in
17	उप आबकारी आयुक्त, झांसी	dec_jhi@upexciseportal.in
18	उप आबकारी आयुक्त, चित्रकूटधाम	dec_ckd@upexciseportal.in

(ड) जिला आबकारी अधिकारियों की ई मेल आई डी

क्रमांक	कार्यालय का नाम	ई मेल आई डी
1	जिला आबकारी अधिकारी, वाराणसी	deo_vns@upexciseportal.in
2	जिला आबकारी अधिकारी, चन्दौली	deo_cnd@upexciseportal.in
3	जिला आबकारी अधिकारी, गाजीपुर	deo_gzp@upexciseportal.in
4	जिला आबकारी अधिकारी, जौनपुर	deo_jnp@upexciseportal.in
5	जिला आबकारी अधिकारी, इलाहाबाद	deo_ald@upexciseportal.in
6	जिला आबकारी अधिकारी, कौशाम्बी	deo_kau@upexciseportal.in
7	जिला आबकारी अधिकारी, फतेहपुर	deo_ftp@upexciseportal.in
8	जिला आबकारी अधिकारी, प्रतापगढ़	deo_ptp@upexciseportal.in
9	जिला आबकारी अधिकारी मिर्जापुर,	deo_mrj@upexciseportal.in
10	जिला आबकारी अधिकारी, सोनभद्र	deo_sbh@upexciseportal.in
11	जिला आबकारी अधिकारी, सन्तरविदास नगर	deo_srn@upexciseportal.in
12	जिला आबकारी अधिकारी, आजमगढ़	deo_azm@upexciseportal.in
13	जिला आबकारी अधिकारी, बलिया	deo_bal@upexciseportal.in
14	जिला आबकारी अधिकारी, मऊ	deo_mau@upexciseportal.in
15	जिला आबकारी अधिकारी, गोरखपुर	deo_gkp@upexciseportal.in
16	जिला आबकारी अधिकारी, देवरिया	deo_dea@upexciseportal.in
17	जिला आबकारी अधिकारी, महाराजगंज	deo_mhj@upexciseportal.in
18	जिला आबकारी अधिकारी, कुशीनगर	deo_ksn@upexciseportal.in
19	जिला आबकारी अधिकारी, बस्ती	deo_bst@upexciseportal.in
20	जिला आबकारी अधिकारी, सिद्धार्थनगर	deo_sdh@upexciseportal.in
21	जिला आबकारी अधिकारी, सन्तकबीर नगर	deo_skn@upexciseportal.in
22	जिला आबकारी अधिकारी, लखनऊ	deo_lko@upexciseportal.in
23	जिला आबकारी अधिकारी, हरदोई	deo_hrd@upexciseportal.in
24	जिला आबकारी अधिकारी, खीरी	deo_kri@upexciseportal.in
25	जिला आबकारी अधिकारी, रायबरेली	deo_rby@upexciseportal.in
26	जिला आबकारी अधिकारी, उन्नाव	deo_uno@upexciseportal.in
27	जिला आबकारी अधिकारी, सीतापुर	deo_stp@upexciseportal.in
28	जिला आबकारी अधिकारी, छ0शा0म0 नगर	deo_csm@upexciseportal.in
29	जिला आबकारी अधिकारी, फैजाबाद	deo_fzb@upexciseportal.in
30	जिला आबकारी अधिकारी, बाराबंकी	deo_bbk@upexciseportal.in
31	जिला आबकारी अधिकारी, सुल्तानपुर	deo_sup@upexciseportal.in
32	जिला आबकारी अधिकारी, भीमनगर	deo_bmn@upexciseportal.in
33	जिला आबकारी अधिकारी, अम्बेदकर नगर	deo_abd@upexciseportal.in
34	जिला आबकारी अधिकारी, गोंडा	deo_gnd@upexciseportal.in
35	जिला आबकारी अधिकारी, बहराइच	deo_bch@upexciseportal.in
36	जिला आबकारी अधिकारी, बलरामपुर	deo_brp@upexciseportal.in
37	जिला आबकारी अधिकारी, श्रावस्ती	deo_shv@upexciseportal.in

38	जिला आबकारी अधिकारी, बरेली	deo_bre@upexciseportal.in
39	जिला आबकारी अधिकारी, बदायूँ	deo_bad@upexciseportal.in
40	जिला आबकारी अधिकारी, पीलीभीत	deo_bph@upexciseportal.in
41	जिला आबकारी अधिकारी, शाहजहाँपुर	deo_shp@upexciseportal.in
42	जिला आबकारी अधिकारी, मेरठ	deo_mrt@upexciseportal.in
43	जिला आबकारी अधिकारी, बागपत	deo_bgt@upexciseportal.in
44	जिला आबकारी अधिकारी, बुलन्दशहर	deo_bds@upexciseportal.in
45	जिला आबकारी अधिकारी, पंचशीलनगर	deo_pcn@upexciseportal.in
46	जिला आबकारी अधिकारी, गाजियाबाद	deo_gzb@upexciseportal.in
47	जिला आबकारी अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर	deo_gtb@upexciseportal.in
48	जिला आबकारी अधिकारी, मुरादाबाद	deo_mbd@upexciseportal.in
49	जिला आबकारी अधिकारी, ज्योतिबाफुले नगर	deo_jpn@upexciseportal.in
50	जिला आबकारी अधिकारी, रामपुर	deo_ram@upexciseportal.in
51	जिला आबकारी अधिकारी, बिजनौर	deo_bij@upexciseportal.in
52	जिला आबकारी अधिकारी, सहारनपुर	deo_shn@upexciseportal.in
53	जिला आबकारी अधिकारी, मुजफ्फरनगर	deo_mzf@upexciseportal.in
54	जिला आबकारी अधिकारी, प्रबुद्धनगर	deo_pdn@upexciseportal.in
55	जिला आबकारी अधिकारी, आगरा	deo_agr@upexciseportal.in
56	जिला आबकारी अधिकारी, फिरोजाबाद	deo_frz@upexciseportal.in
57	जिला आबकारी अधिकारी, मथुरा	deo_mth@upexciseportal.in
58	जिला आबकारी अधिकारी, मैनपुरी	deo_mnp@upexciseportal.in
59	जिला आबकारी अधिकारी, अलीगढ़	deo_alg@upexciseportal.in
60	जिला आबकारी अधिकारी, महामाया नगर	deo_mnr@upexciseportal.in
61	जिला आबकारी अधिकारी, एटा	deo_eth@upexciseportal.in
62	जिला आबकारी अधिकारी, काशीरामनगर	deo_krn@upexciseportal.in
63	जिला आबकारी अधिकारी, कानपुर नगर	deo_knp@upexciseportal.in
64	जिला आबकारी अधिकारी, रमाबाई नगर	deo_rbn@upexciseportal.in
65	जिला आबकारी अधिकारी, इटावा	deo_etw@upexciseportal.in
66	जिला आबकारी अधिकारी, औरैया	deo_aur@upexciseportal.in
67	जिला आबकारी अधिकारी, फर्रुखाबाद	deo_fkd@upexciseportal.in
68	जिला आबकारी अधिकारी, कन्नौज	deo_knj@upexciseportal.in
69	जिला आबकारी अधिकारी, झाँसी	deo_jsi@upexciseportal.in
70	जिला आबकारी अधिकारी, जालौन	deo_jln@upexciseportal.in
71	जिला आबकारी अधिकारी, ललितपुर	deo_llp@upexciseportal.in
72	जिला आबकारी अधिकारी, बाँदा	deo_bnd@upexciseportal.in
73	जिला आबकारी अधिकारी, चित्रकूट	deo_ckt@upexciseportal.in
74	जिला आबकारी अधिकारी, हमीरपुर	deo_hmp@upexciseportal.in
75	जिला आबकारी अधिकारी, महोबा	deo_mhb@upexciseportal.in

परिशिष्ट – 24

(क) मुख्यालय के अधिकारियों/अनुभाग अधिकारियों के सी०यू०जी० नम्बर

क्रमांक	अनुभाग अधिकारी का नाम	सी०यू०जी० नम्बर
1	आबकारी आयुक्त, उ०प्र०	9454466001
2	अपर आबकारी आयुक्त, (प्रशासन) उ०प्र०	9454466002
3	अपर आबकारी आयुक्त, (ला०/औ०वि०) उ०प्र०	9454466003
4	संयुक्त आबकारी आयुक्त, ई०आई०बी०	9454466004
5	संयुक्त आबकारी आयुक्त, मुख्यालय	9454466005
6	संयुक्त आबकारी आयुक्त, (टास्क फोर्स)	9454466006
7	उप आबकारी आयुक्त, ई०आई०बी० प्रथम	9454466007
8	उप आबकारी आयुक्त, ई०आई०बी० द्वितीय	9454466008
9	उप आबकारी आयुक्त, ई०आई०बी० तृतीय	9454466009
10	उप आबकारी आयुक्त, ई०आई०बी० चतुर्थ	9454466010
11	उप आबकारी आयुक्त (का०/अधि०)	9454466011
12	उप आबकारी आयुक्त (विधि)	9454466012
13	उप आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग)	9454466013
14	उप आबकारी आयुक्त (उत्पादन)	9454466014
15	उप आबकारी आयुक्त (वितरण)	9454466015
16	सहायक आबकारी आयुक्त (का०/अधि०)	9454466016
17	सहायक आबकारी आयुक्त (विधि)	9454466017
18	सहायक आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग)	9454466018
19	सहायक आबकारी आयुक्त (ई०आई०बी०)	9454466019
20	वरिष्ठ प्राविधिक अधिकारी	9454466020
21	प्राविधिक अधिकारी प्रथम	9454466021
22	प्राविधिक अधिकारी द्वितीय	9454466022
23	वित्त नियंत्रक	9454466023
24	वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी	9454466024
25	वित्त एवं लेखाधिकारी	9454466025
26	सहायक लेखाधिकारी	9454466026

(ख) संयुक्त आबकारी अधिकारियों के सी०यू०जी० नम्बर

क्रमांक	कार्यालय का नाम	सी०यू०जी० नम्बर
1	संयुक्त आबकारी आयुक्त, मेरठ	9454465586
2	संयुक्त आबकारी आयुक्त, आगरा	9454465587
3	संयुक्त आबकारी आयुक्त, लखनऊ	9454465588
4	संयुक्त आबकारी आयुक्त, वाराणसी	9454465589
5	संयुक्त आबकारी आयुक्त, गोरखपुर	9454465590

(ग) उप आबकारी अधिकारियों के सी0यू0जी0 नम्बर

क्रमांक	कार्यालय का नाम	सी0यू0जी0 नम्बर
1	उप आबकारी आयुक्त, वाराणसी	9454465591
2	उप आबकारी आयुक्त, इलाहाबाद	9454465592
3	उप आबकारी आयुक्त, मिर्जापुर	9454465593
4	उप आबकारी आयुक्त, आजमगढ़	9454465594
5	उप आबकारी आयुक्त, गोरखपुर	9454465595
6	उप आबकारी आयुक्त, बस्ती	9454465596
7	उप आबकारी आयुक्त, लखनऊ	9454465597
8	उप आबकारी आयुक्त, फैजाबाद	9454465598
9	उप आबकारी आयुक्त, देवीपाटन	9454465599
10	उप आबकारी आयुक्त, बरेली	9454465600
11	उप आबकारी आयुक्त, मेरठ	9454465601
12	उप आबकारी आयुक्त, मुरादाबाद	9454465602
13	उप आबकारी आयुक्त, सहारनपुर	9454465603
14	उप आबकारी आयुक्त, आगरा	9454465604
15	उप आबकारी आयुक्त, अलीगढ़	9454465605
16	उप आबकारी आयुक्त, कानपुर	9454465606
17	उप आबकारी आयुक्त, झांसी	9454465607
18	उप आबकारी आयुक्त, चित्रकूटधाम	9454465608
19	उप आबकारी आयुक्त, विधि, गाजियाबाद	9454465609

(घ) जिला आबकारी अधिकारियों के सी0यू0जी0 नम्बर

क्रमांक	कार्यालय का नाम	सी0यू0जी0 नम्बर
1	जिला आबकारी अधिकारी, वाराणसी	9454465610
2	जिला आबकारी अधिकारी, चन्दौली	9454465611
3	जिला आबकारी अधिकारी, गाजीपुर	9454465612
4	जिला आबकारी अधिकारी, जौनपुर	9454465613
5	जिला आबकारी अधिकारी, इलाहाबाद	9454465614
6	जिला आबकारी अधिकारी, कौशाम्बी	9454465615
7	जिला आबकारी अधिकारी, फतेहपुर	9454465616
8	जिला आबकारी अधिकारी, प्रतापगढ़	9454465617
9	जिला आबकारी अधिकारी मिर्जापुर,	9454465618
10	जिला आबकारी अधिकारी, सोनभद्र	9454465619
11	जिला आबकारी अधिकारी, सन्तरविदास नगर	9454465620
12	जिला आबकारी अधिकारी, आजमगढ़	9454465621
13	जिला आबकारी अधिकारी, बलिया	9454465622
14	जिला आबकारी अधिकारी, मऊ	9454465623
15	जिला आबकारी अधिकारी, गोरखपुर	9454465624

16	जिला आबकारी अधिकारी, देवरिया	9454465625
17	जिला आबकारी अधिकारी, महाराजगंज	9454465626
18	जिला आबकारी अधिकारी, कुशीनगर	9454465627
19	जिला आबकारी अधिकारी, बस्ती	9454465628
20	जिला आबकारी अधिकारी, सिद्धार्थनगर	9454465629
21	जिला आबकारी अधिकारी, सन्तकबीर नगर	9454465630
22	जिला आबकारी अधिकारी, लखनऊ	9454465631
23	जिला आबकारी अधिकारी, हरदोई	9454465632
24	जिला आबकारी अधिकारी, खीरी	9454465633
25	जिला आबकारी अधिकारी, रायबरेली	9454465634
26	जिला आबकारी अधिकारी, सीतापुर	9454465635
27	जिला आबकारी अधिकारी, उन्नाव	9454465636
28	जिला आबकारी अधिकारी, फैजाबाद	9454465637
29	जिला आबकारी अधिकारी, बाराबंकी	9454465638
30	जिला आबकारी अधिकारी, सुल्तानपुर	9454465639
31	जिला आबकारी अधिकारी, छत्रपति शाहूजी महाराजनगर	9454465640
32	जिला आबकारी अधिकारी, अम्बेदकर नगर	9454465641
33	जिला आबकारी अधिकारी, गोंडा	9454465642
34	जिला आबकारी अधिकारी, बहराइच	9454465643
35	जिला आबकारी अधिकारी, बलरामपुर	9454465644
36	जिला आबकारी अधिकारी, श्रावस्ती	9454465645
37	जिला आबकारी अधिकारी, बरेली	9454465646
38	जिला आबकारी अधिकारी, बदायूँ	9454465647
39	जिला आबकारी अधिकारी, पीलीभीत	9454465648
40	जिला आबकारी अधिकारी, शाहजहाँपुर	9454465649
41	जिला आबकारी अधिकारी, मेरठ	9454465650
42	जिला आबकारी अधिकारी, बागपत	9454465651
43	जिला आबकारी अधिकारी, बुलन्दशहर	9454465652
44	जिला आबकारी अधिकारी, पंचशीलनगर	9454465653
45	जिला आबकारी अधिकारी, गाजियाबाद	9454465653
46	जिला आबकारी अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर	9454465654
47	जिला आबकारी अधिकारी, मुरादाबाद	9454465655
48	जिला आबकारी अधिकारी, भीमनगर	9454465655
49	जिला आबकारी अधिकारी, ज्योतिबाफुले नगर	9454465656
50	जिला आबकारी अधिकारी, रामपुर	9454465657
51	जिला आबकारी अधिकारी, बिजनौर	9454465658
52	जिला आबकारी अधिकारी, सहारनपुर	9454465659
53	जिला आबकारी अधिकारी, मुजफ्फरनगर	9454465660
54	जिला आबकारी अधिकारी, प्रबुद्धनगर	9454465660
55	जिला आबकारी अधिकारी, आगरा	9454465661
56	जिला आबकारी अधिकारी, फिरोजाबाद	9454465662
57	जिला आबकारी अधिकारी, मथुरा	9454465663

58	जिला आबकारी अधिकारी, मैनपुरी	9454465664
59	जिला आबकारी अधिकारी, अलीगढ़	9454465665
60	जिला आबकारी अधिकारी, महामाया नगर	9454465667
61	जिला आबकारी अधिकारी, एटा	9454465668
62	जिला आबकारी अधिकारी, काशीरामनगर	9454465669
63	जिला आबकारी अधिकारी, कानपुर नगर	9454465670
64	जिला आबकारी अधिकारी, रमाबाई नगर	9454465671
65	जिला आबकारी अधिकारी, इटावा	9454465672
66	जिला आबकारी अधिकारी, औरैया	9454465673
67	जिला आबकारी अधिकारी, फर्रुखाबाद	9454465674
68	जिला आबकारी अधिकारी, कन्नौज	9454465675
69	जिला आबकारी अधिकारी, झाँसी	9454465676
70	जिला आबकारी अधिकारी, जालौन	9454465677
71	जिला आबकारी अधिकारी, ललितपुर	9454465678
72	जिला आबकारी अधिकारी, बांदा	9454465679
73	जिला आबकारी अधिकारी, चित्रकूट	9454465680
74	जिला आबकारी अधिकारी, हमीरपुर	9454465681
75	जिला आबकारी अधिकारी, महोबा	9454465682

(ङ) सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन के अधिकारियों के सी0यू0जी0 नम्बर

क्रमांक	कार्यालय का नाम	सी0यू0जी0 नम्बर
1	सहायक आबकारी आयुक्त, वाराणसी	9454465683
2	सहायक आबकारी आयुक्त, इलाहाबाद	9454465684
3	सहायक आबकारी आयुक्त, मिर्जापुर	9454465685
4	सहायक आबकारी आयुक्त, आजमगढ़	9454465686
5	सहायक आबकारी आयुक्त, गोरखपुर	9454465687
6	सहायक आबकारी आयुक्त, बस्ती	9454465688
7	सहायक आबकारी आयुक्त, लखनऊ	9454465689
8	सहायक आबकारी आयुक्त, फैजाबाद	9454465690
9	सहायक आबकारी आयुक्त, देवीपाटन	9454465691
10	सहायक आबकारी आयुक्त, बरेली	9454465692
11	सहायक आबकारी आयुक्त, मेरठ	9454465693
12	सहायक आबकारी आयुक्त, मुरादाबाद	9454465694
13	सहायक आबकारी आयुक्त, सहारनपुर	9454465695
14	सहायक आबकारी आयुक्त, आगरा	9454465696
15	सहायक आबकारी आयुक्त, अलीगढ़	9454465697
16	सहायक आबकारी आयुक्त, कानपुर	9454465698
17	सहायक आबकारी आयुक्त, झाँसी	9454465699
18	सहायक आबकारी आयुक्त, चित्रकूटधाम	9454465700

(च) सहायक आबकारी आयुक्त, आसवनी के अधिकारियों के सी0यू0जी0 नम्बर

क्रमांक	कार्यालय का नाम	आसवनी का नाम	सी0यू0जी0 नम्बर
1	सहायक आबकारी आयुक्त	नेशनल इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, मुरादाबाद	9454465725
2	सहायक आबकारी आयुक्त	दौराला आसवनी, मेरठ	9454465712
3	सहायक आबकारी आयुक्त	हरगांव आसवनी, सीतापुर	9454465708
4	सहायक आबकारी आयुक्त	रामपुर आसवनी, रामपुर	9454465727
5	सहायक आबकारी आयुक्त	शामली आसवनी, मुजफ्फरनगर	9454465721
6	सहायक आबकारी आयुक्त	कप्तानगंज आसवनी, कुशीनगर	9454465703
7	सहायक आबकारी आयुक्त	सराया आसवनी, गोरखपुर	9454465702
8	सहायक आबकारी आयुक्त	केसर इण्टरप्राइजेज लि0, बरेली	9454465722
9	सहायक आबकारी आयुक्त	मोहन मीकिन आसवनी, लखनऊ	9454465706
10	सहायक आबकारी आयुक्त	को-आपरेटिव कं0 लि0, सहारनपुर	9454465717
11	सहायक आबकारी आयुक्त	यूनाइटेड स्प्रिट्स लिमिटेड, मेरठ	9454465711
12	सहायक आबकारी आयुक्त	गोला आसवनी खीरी	9454465709
13	सहायक आबकारी आयुक्त	पिलखनी आसवनी, सहारनपुर	9454465718
14	सहायक आबकारी आयुक्त	स्यौहारा आसवनी, बिजनौर	9454465728
15	सहायक आबकारी आयुक्त	सिम्भौली आसवनी, गाजियाबाद	9454465714
16	सहायक आबकारी आयुक्त	नारंग आसवनी, गोण्डा	9454465704
17	सहायक आबकारी आयुक्त	मंसूरपुर आसवनी, मंसूरपुर, मुजफ्फरनगर	9454465719
18	सहायक आबकारी आयुक्त	मोदी आसवनी, गाजियाबाद	9454465713
19	सहायक आबकारी आयुक्त	उन्नाव डिस्टिलरी, उन्नाव	9454465707
20	सहायक आबकारी आयुक्त	मोहन मीकिन आसवनी, गाजियाबाद	9454465716
21	सहायक आबकारी आयुक्त	यूनाइटेड स्प्रिट्स लिमिटेड, रोजा, रोजा, शाहजहाँपुर	9454465724
22	सहायक आबकारी आयुक्त	लार्डस आसवनी, गाजीपुर	9454465701
23	सहायक आबकारी आयुक्त	जुबिलेण्ट आर्गेनोसिस, ज्योतिबाफुलेनगर	9454465726
24	सहायक आबकारी आयुक्त	मझोला आसवनी, पीलीभीत	9454465723
25	सहायक आबकारी आयुक्त	ननौता आसवनी, सहारनपुर	9454465720
26	सहायक आबकारी आयुक्त	अनूपशहर आसवनी, बलन्दशहर	9454465715
27	सहायक आबकारी आयुक्त	नानपारा आसवनी, बहराइच	9454465705
28	सहायक आबकारी आयुक्त	कायमगंज आसवनी, फरुखाबाद	9454465710
29	सहायक आबकारी आयुक्त	सुपीरियर इण्डस्ट्रीज लि0, बरेली	9454466991
30	सहायक आबकारी आयुक्त	धामपुर आसवनी, बिजनौर	9154467012
31	सहायक आबकारी आयुक्त	सम्पूर्णनगर आसवनी, खीरी	9454467006
32	सहायक आबकारी आयुक्त	घोषी आसवनी, मऊ	9454467001
33	सहायक आबकारी आयुक्त	बलरामपुर आसवनी, बलरामपुर	9454467003
34	सहायक आबकारी आयुक्त	के0एम0 शुगर मिल्स लि0, फैजाबाद	9454466983
35	सहायक आबकारी आयुक्त	नीबी स्टील्स लि0, मऊ	9454466998
36	सहायक आबकारी आयुक्त	टिकौला आसवनी, मुजफ्फरनगर	9454466994
37	सहायक आबकारी आयुक्त	बलरामपुर चीनी मिल्स लि0, यूनिट-बभनान, गोण्डा	9454467010
38	सहायक आबकारी आयुक्त	पलिया आसवनी, खीरी	9454466980
39	सहायक आबकारी आयुक्त	मोहित पेट्रो केमिकल्स लि0, बिजनौर	9454466996
40	सहायक आबकारी आयुक्त	शाकुम्भरी आसवनी, सहारनपुर	9454466993
41	सहायक आबकारी आयुक्त	द्वारिकेश शुगर इण्डस्ट्रीज लि0, बिजनौर	9454466997
42	सहायक आबकारी आयुक्त	किनौनी आसवनी, मेरठ	9454466981
43	सहायक आबकारी आयुक्त	आई0जी0एल0, गोरखपुर	9454467007

44	सहायक आबकारी आयुक्त	चिलवरिया आसवनी, बहराइच	9454466987
45	सहायक आबकारी आयुक्त	गांगनौली आसवनी, सहारनपुर	9454466988
46	सहायक आबकारी आयुक्त	खम्भारखेड़ा आसवनी, खीरी	9454466984
47	सहायक आबकारी आयुक्त	त्रिवेणी आसवनी, मुजफ्फरनगर	9454467008
48	सहायक आबकारी आयुक्त	मनकापुर आसवनी, गोण्डा	9454466989
49	सहायक आबकारी आयुक्त	डालमिया आसवनी, सीतापुर	9454466985
50	सहायक आबकारी आयुक्त	रुदौली आसवनी, बस्ती	9454467009
51	सहायक आबकारी आयुक्त	नगलामल आसवनी, मेरठ	9454466982
52	सहायक आबकारी आयुक्त	बिसवां आसवनी, सीतापुर	9454466986
53	सहायक आबकारी आयुक्त	जैन डिस्टिलरी, बिजनौर	9454467002
54	सहायक आबकारी आयुक्त	असमौली डिस्टिलरी, मुरादाबाद	9454466995
55	सहायक आबकारी आयुक्त	रेडिको खेतान लि० (यूनिट ग्रेन स्ट्रिट प्लान्ट), रामपुर	9454465727
56	सहायक आबकारी आयुक्त	बृजनाथपुर (सिम्भावली), गाजियाबाद	9454466979
57	सहायक आबकारी आयुक्त	यू० वायो केमिकल्स, अलीगढ़	9454466992
58	सहायक आबकारी आयुक्त	मानव ब्रिवरीज लि०, गाजियाबाद	9454467005
59	सहायक आबकारी आयुक्त	भोजपुरा आसवनी, गाजियाबाद	9454466940
60	सहायक आबकारी आयुक्त	स्काल ब्रिवरीज, मेरठ	9454467004

(छ) सहायक आबकारी आयुक्त, एस०एस०एफ० के अधिकारियों के सी०यू०जी० नम्बर

क्रमांक	कार्यालय का नाम	एस०एस०एफ० इकाई का नाम	सी०यू०जी० नम्बर
1	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) मेरठ प्रभार-1	9454466942
2	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) मेरठ प्रभार-2	9454466944
3	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(बी) मेरठ, जोन	9454466947
4	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) सहारनपुर प्रभार-1	9454466943
5	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) सहारनपुर प्रभार-2	9454466945
6	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) बरेली प्रभार	9454466946
7	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) मुरादाबाद प्रभार	9454466948
8	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) वाराणसी प्रभार	9454466949
9	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(बी) वाराणसी जोन	9454466964
10	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) बस्ती प्रभार	9454466950
11	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) इलाहाबाद प्रभार	9454466951
12	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) कानपुर प्रभार	9454466952
13	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) गोरखपुर प्रभार	9454466953
14	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) देवीपाटन प्रभार	9454466954
15	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) मिर्जापुर प्रभार	9454466955
16	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) लखनऊ प्रभार	9454466956
17	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(बी) लखनऊ जोन	9454466965
18	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) फैजाबाद प्रभार	9454466957
19	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) आगरा प्रभार	9454466958
20	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(बी) आगरा जोन	9454466959
21	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) अलीगढ़ प्रभार	9454466960
22	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) झांसी प्रभार	9454466961
23	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) चित्रकूटधाम प्रभार	9454466962
24	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) आजमगढ़ प्रभार	9454466966
25	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(बी) गोरखपुर जोन	9454466963